वार्षिक प्रतिवेदन

2013-14

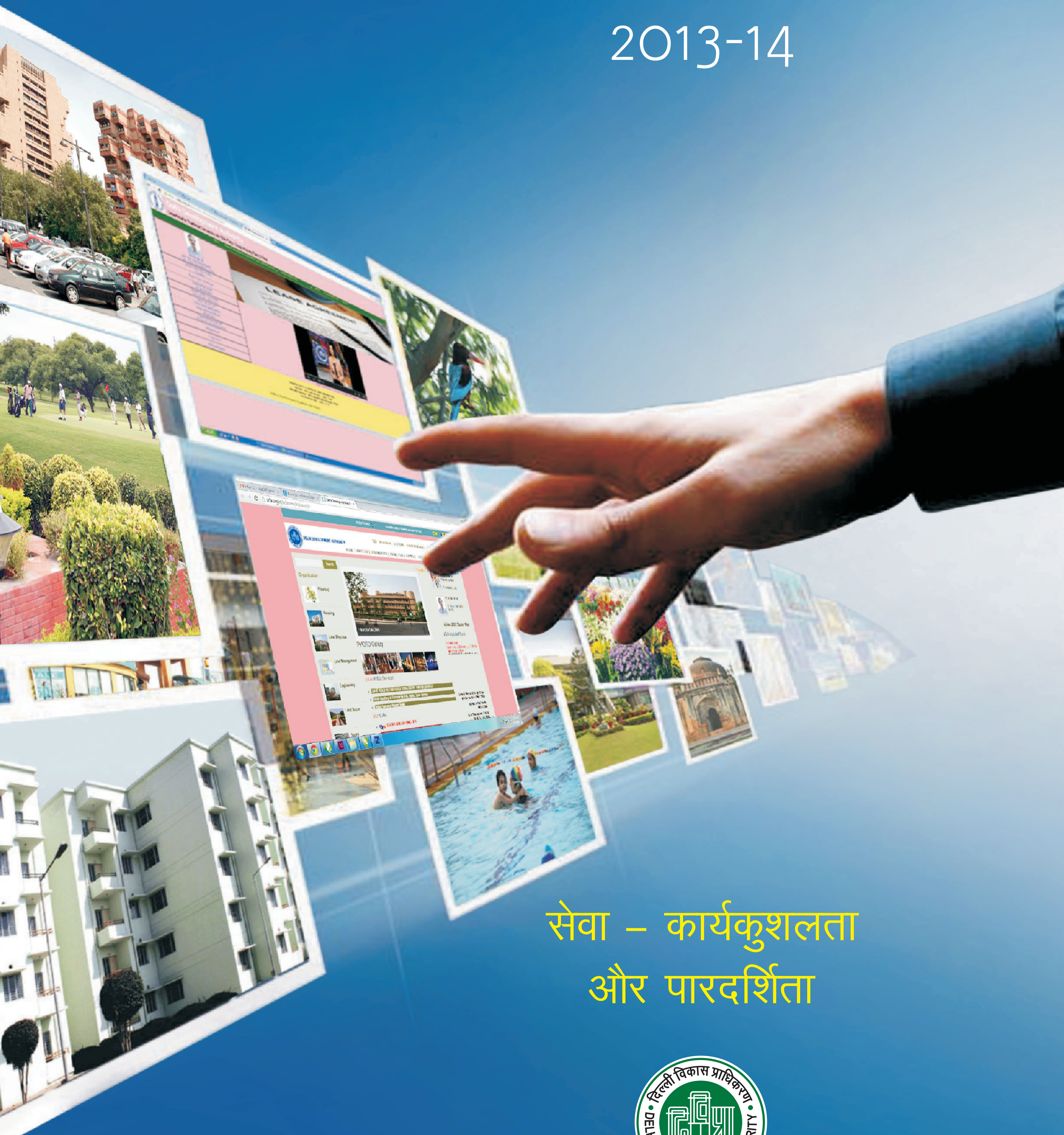

सेवा – कार्यकुशलता
और पारदर्शिता

दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री नजीब जंग, उपराज्यपाल, विकास सदन स्थित नागरिक सुविधा केन्द्र का उद्घाटन करते हुए।

उपराज्यपाल, श्री नजीब जंग अरावली जैव वैविध्य पार्क में

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. एल.जी. कप – 2014 देते हुए

विषय सूची

01. दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 03

02. वर्ष की विशेषताएं 05

03. प्राधिकरण का प्रबंध तंत्र 08

04. कार्मिक विभाग 13

05. सतर्कता विभाग 15

06. विधि विभाग 17

07. प्रणाली एवं प्रशिक्षण–विभाग 18

08. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप 21

09. योजना एवं वास्तुकला 26

10. आवास 36

11. भूमि प्रबंधन और भूमि निपटान विभाग 38

12. खेल विभाग 40

13. उद्यान – राजधानी को हरा–भरा बनाना 44

14. कोटि आश्वासन कक्ष 45

15. वित्त एवं लेखा विंग 47

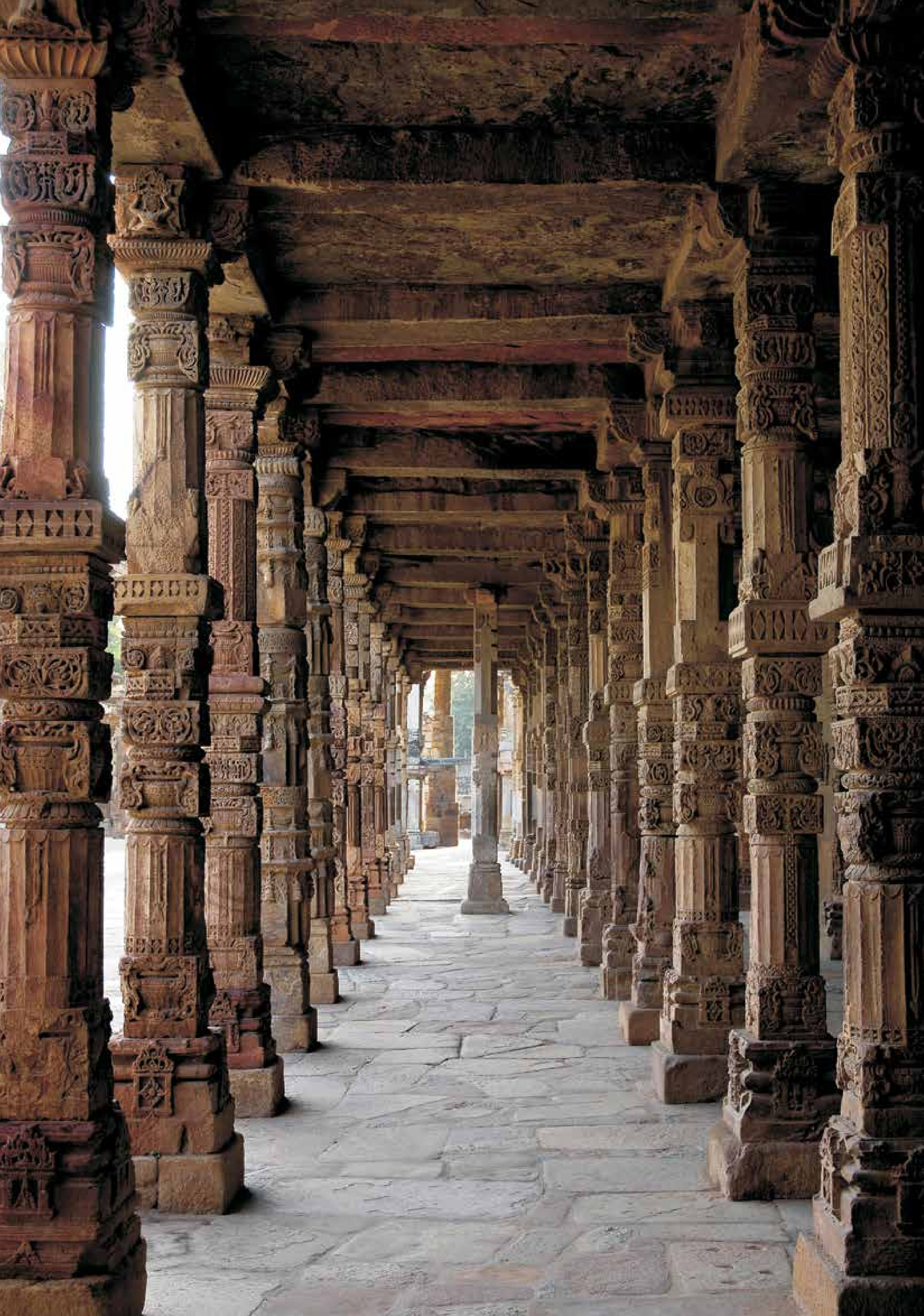

1. दिल्ली एवं दि.वि.प्रा.
एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पौराणिक कथाओं तथा आख्यानों का प्राचीन ऐतिहासिक शहर दिल्ली किसी समय यह बंजर भूमि थी, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी –'इंद्रप्रस्थ' के रूप में विकसित किया था। शताब्दियों से यह शहर अनेक साम्राज्यों के उत्थान–पतन का साक्षी रहा है और आज वैश्विक महानगर के रूप में खड़ा है। यह ऐसा शहर है जिसमें भूत और वर्तमान साथ–साथ परिलक्षित होते हैं। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के पास स्थित दिल्ली के स्मारक इसके प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास के कालातीत गौरव को अमर बनाए रखते हैं। पूरे इतिहास पर अगर नजर डालें तो दिल्ली पर अनेक बार आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया गया, इसे नष्ट किया गया परन्तु दिल्ली का पुनः निर्माण किया तथा इसके रूप को पुनः संवारा गया। अगर आप इसके किलों तथा पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करें तो आप असंख्य आकर्षक वस्तुओं एवं स्थानों को देख कर मुग्ध रह जाएंगे।

कुतुबुद्दीन के राज्यारोहण से खिलजी वंश तक तथा तुगलक साम्राज्य से लेकर मुगलों के शासन काल तक दिल्ली ने भारतीय इतिहास में अनेक अध्याय जोड़े हैं। इस शहर पर उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया जब अंग्रेजों ने सन् 1911 में अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। जो प्रतिष्ठा दिल्ली ने उस समय अर्जित की थी, वह अब तक बनी हुई है क्योंकि दिल्ली स्वतंत्र भारत की प्रसिद्ध राजधानी है। प्रारंभ में उत्तरी रिज को दिल्ली की राजधानी बनाया गया जाना प्रस्तावित था जिसे बाद में रायसीना हिल्स के आस–पास स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1912 में प्रख्यात नगर योजनाकार एडवर्ड लुटियंस और हरबर्ट बेकर ने नई दिल्ली शहर का नगर नियोजन किया और इसे अद्वितीय विशेषता एवं भव्यता प्रदान की।

तब से यह शहर महानगर के रूप में विकसित होता रहा है। इस शहर के नियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए पहले प्राधिकरण के रूप में वर्ष 1922 में दिल्ली कलेक्ट्रेट में एक छोटे से नजूल कार्यालय की स्थापना की गई जिसमें 10 से 12 कर्मी थे। भवन निर्माण कार्यों तथा भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1937 में नजूल कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर सुधार न्याय कर दिया गया। जिसका गठन संयुक्त प्रांत सुधार अधिनियम 1911 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया वर्ष 1947 में, भारत के स्वतंत्र होते ही दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ, जिससे इसकी जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई। परिणामतः शहरी आधारिक संरचनाओं की अत्यधिक कमी हो गई तथा नागरिक सेवाएं चरमराने लगीं। बड़ी संख्या में प्रवासियों को खुले स्थानों पर रहना पड़ा। इससे इस शहर के नियोजित विकास की नई दिशा तथा आवश्यकता के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

उस समय के दो स्थानीय निकाय–दिल्ली सुधार न्यास तथा नगर निकाय इस बदलते हुए परिदृश्य का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दिल्ली के तीव्र और अव्यस्थित विकास को नियंत्रित एवं नियोजित करने के लिए केन्द्र सरकार ने सन् 1950 में जी. डी. बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने दिल्ली के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक एकल नियोजन एवं नियंत्रक प्राधिकरण की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप, योजना के अनुसार दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 (जिसका स्थान दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ने ले लिया) को प्रवर्तित करते हुए दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण (डी.डी.पी.ए.) का गठन किया गया। तत्पश्चात् 27 दिसंबर, 1957 को दिल्ली विकास प्रधिकरण अस्तित्व में आया और इसने दिल्ली जैसे शहर के 9वें निर्माता की ऐतिहासिक भूमिका निभाने का कार्य संभाल लिया।

प्रारंभ में दि.वि.प्रा. के समक्ष ऐसे कोई पैमाना और योजनाएं नहीं थे, जिनका वह पालन करता। दिल्ली के सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध विकास के लिए, दि.वि.प्रा. ने वर्ष 1982 तक के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1962 में दिल्ली की मुख्य योजना बनाई। यह मुख्य योजना बाद में अन्य शहरों द्वारा अपनाए जाने का मुख्य आधार तथा रूपरेखा का कार्य करने वाली बनी। इस मुख्य योजना की मुख्य विशेषताओं में ऐसी भूमि का निर्धारण करना था जिसे व्यावसायिक कार्यालयों के

हुमायूँ मकबरा

साथ–साथ फुटकर परिसरों के लिए पर्याप्त स्थान तथा सहायक आधारिक संरचनाएं उपलब्ध कराके रिहायशी क्षेत्रों तथा कॉलोनियों के रूप में विकसित किया जा सके। इस मुख्य योजना में वर्ष 2001 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए तथा इस मुख्य योजना को वर्ष 1990 में स्वीकार किया गया। इस योजना में 2021 तक की अवधि के परिप्रेक्ष्य में सोच तथा नीति संबंधी दिशा–निर्देशों पर ध्यान रखते हुए अनेक संशोधन किए गए और इस मुख्य योजना 7 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया। इस मुख्य योजना को, बदलते समय के अनुकूल बनाने के लिए, इसकी हर पांच वर्ष के अंतराल पर समीक्षा की जाती है।

दि.वि.प्रा. ने अपने विश्व स्तर के नगर योजनाकारों की सहायता से दिल्ली को एक वैश्विक महानगर बना दिया है। मुख्य योजना की अवधारणा प्रारंभ करने के अतिरिक्त दि.वि.प्रा. ने अनेक महत्वपूर्ण पहलों की शुरूआत भी की है, जो आज भारत के शहरी विकास के मानकों के रूप में कार्य कर रहा है। दि.वि.प्रा. ने विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय योजनाएं, कार्य क्षेत्र योजनाए, शहरी विस्तार परियोजनाएं तथा अन्य येानजाएं भी बनाई हैं। इसके कार्यक्षेत्र में रिहायशी आवासीय योजनाएं व्यावसायिक परिसर एवं कार्यालयी स्थान, भूमि विकास, परिवहन, आधारिक संरचना दिल्ली में अज्ञात विरासत स्थलों का निर्धारण एवं संरक्षण, खेल परिसर, खेल के मैदान, गोल्फ कोर्स, पर्यावरण की सुरक्षा और हरित पट्टियों एवं जंगलों इत्यादि को संरक्षित रखना शामिल है। दि.वि.प्रा. के विचारपूर्ण प्रयासों से दिल्ली को विश्व की हरित राजधानी के रूप में पहचान मिली है। दि.वि.प्रा. ने 5,050 हैक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया है जिसमें 4 क्षेत्रीय पार्क, 25 नगर वन, 111 जिला पार्क, 255 समीपवती पार्क, 15 खेल परिसर, 3 लघु खेल परिसर, 2 गोल्फ कोर्स, 11 लघु फुटबॉल मैदान, और 26 मैदान है। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. ने हरित पट्टियां भी विकसित की हैं।

इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. ने दिल्ली बॉयोडाइवर्सिटी फाउंडेशन की स्थापना करके शहर के भावी प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैव–वैविध्य स्थलों की समृद्ध पारिस्थितिकीय प्राकृतिक जैव वैविध्य विशेषता को संरक्षित रखना है। यह फाउंडेशन एक अलग तरह के पहले जैव–वैविध्य पार्कों की स्थापना कर चुका है जिसमें से दि.वि.प्रा. जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा वन्य – जीव के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त वैज्ञानिकों के दल की सहायता से 6 पार्कों को तकनीकी सूचनाओं के आधार पर विकसित कर रहा है।

दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने के लिए दि.वि.प्रा. ने शहरी आधारिक संरचनाओं के विकास संबंधी अपने कार्यों के अतिरिक्त नागरिकों की परिवहन तथा प्रतिदिन की यात्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य कार्य भी किए हैं। दि.वि.प्रा. ने सड़कों और राजमार्गो की योजना बनाने, और आवागमन बढ़ाने, भीड़ कम करने तथा सुगम यातायात बढ़ाने के लिए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना नियोजन और अभियांत्रिकी केन्द्र (यूटीपैक) का गठन किया है जो सड़कों, राजमार्गो तथा दिल्ली के यातायात के सुचारू संचालन के लिए ऐसे ही कार्य करता है। दि.वि.प्रा. ने जन सेवाओं को बेहतर समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए अपनी ऑन लाइन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया है।

दि.वि.प्रा. की पहल तथा उपलब्धियों के सम्मिलित प्रयासों से शहर को गतिमान, जीवंत, वैश्विक श्हार में परिवर्तित कर दिया है जो भारत के गौरव के रूप में निरंतर परिवर्तित और विकसित हो रहा है।

कुतुब गोल्फ कोर्स

2. वर्ष की विशेषताएं

2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2013–14 में विकास के अनवरत कार्य प्रारंभ किए तथा मुख्य योजना–2021 के प्रावधानों के अनुसार भौतिक आधारिक संरचनाओं जैसे सड़कें, सीवरेज, जल–निकास, जलापूर्ति, बिजली की लाइन और मनोरंजनात्मक सुविधाओं इत्यादि का विकास तथा निर्माण करके शहरी सीमाओं का विस्तार किया है। दि.मु.यो.–2021 के अनुसार अनेक नीतियां अधिसूचित की गई हैं तथा अनेक नीतियों को अनुमोदन दिया जा रहा है।

दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमन हेतु विनियम; बैंक्वेट हॉलों की अनुमति संबंधी विनियम 2010; दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के संबंध में नीतियां बनाई गई हैं तथा अधिसूचित की गई हैं। दि.मु.यो.,–2021 के अनुसार अन्य नीतियां जैसे 'अस्थायी सिनेमाघरों का नियमन' लैंड पूलिंग आधार पर भूमि के संग्रहण की नीति; रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार के शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में गोदामों के नियमन हेतु नीति–निर्माण प्रक्रियाधीन है।

विभिन्न प्रक्रियाओं तथा कार्य–पद्धतियों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न सेवाओं को ऑन–लाइन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। समूह आवास फ्लैटों तथा दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन को ऑन लाइन किया गया है। कार्यालय में विकसित वेब – आधारित एप्लीकेशन के द्वारा आवंटिती अब ऑन लाइन आवेदन करके अपने फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करा सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक तथा धार्मिक समारोहों के आयोजन के लिए दि.वि.प्रा. के पार्कों, समाज–सदनों तथा खाली स्थलों की बुकिंग को भी ऑन लाइन बुकिंग व्यवस्था लागू करके कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

2.2 आवास

वर्ष 2013–14 बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ प्रारंभ हुआ क्योंकि मुख्य रूप से नरेला और रोहिणी में प्री कैब तकनीक से लगभग 30,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण हो रहा था। दिनांक 1 अप्रैल, 2013 तक तीस हजार एक सौ उनसठ आवास निर्माणाधीन थे। वर्ष 2013–14 के दौरान सैंतीस हजार नौ सौ छत्तीस आवासों का निर्माण प्रारंभ किया गया जबकि इस अवधि में 11,781 आवासों का निर्माण पूरा हुआ। दिनांक 31 मार्च, 2014 तक सतावन हजार एक सौ चौदह (57,114) आवास निर्माणाधीन थे जिसमें 560 उ.आ.वर्ग, 7,764 म.आ.वर्ग 24,879 नि.आ. वर्ग, तथा 23,911 ई. डब्ल्यू.एस श्रेणियों के आवास थे।

2.3 भूमि अधिग्रहण/विकास

भूमि प्रबंधन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य दि.वि.प्रा. भूमि की अतिक्रमण से सुरक्षा करना था। दि.वि.प्रा. ने भूमि की सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय कार्य प्रणाली की स्थापना की है। दि.वि.प्रा. भूमि की सुरक्षा के लिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और रोहिणी जैसे छः जोन हैं। भूमि अधिग्रहण समाहर्ताओं, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि में 263.33 एकड़ भूमि दि.वि.प्रा. को सौंपी। इस वर्ष के दौरान 48 गांवों को अधिग्रहीत की गई भूमि के विवरण (डाटा) को अधतन किया गया।

2.4 हरित क्षेत्रों का विकास एवं रखरखाव

दिल्ली में हरित क्षेत्रों के विचारपूर्ण महत्व पर जोर देते हुए दि.वि.

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित हरित क्षेत्र

रोहिणी में आवास

प्रा. ने 5,050 हैक्टेयर हरित क्षेत्र का विकास किया गया है जिसमें 4 क्षेत्रीय पार्क, 111 जिला पार्क, 25 नगर वन, 605 मुख्य योजना हरित क्षेत्र/क्षेत्रीय हरितक्षेत्र/हरित पट्टियों, 255 समीपवर्ती पार्क, 1872 समूह आवास हरित क्षेत्र, 15 खेल परिसरों के साथ 3 लघु खेल परिसर, पगडंडी, ऐतिहासिक और विरासतीय हरित क्षेत्रों के अलावा 2 गोल्फ कोर्स शामिल हैं। दि.वि.प्रा. दिल्ली में और दिल्ली के आस–पास जैव वैविध्य पार्कों की योजना बना रहा है और विकसित कर रहा है। इसके अलावा भू–दृश्यांकन इकाई ने तुगलाकाबाद जैसी विरासतीय परियोजनाओं के साथ–साथ अन्य विशेष परियोजनाओं जैसे नदी मुहाना विकास, इन्द्रप्रस्थ पार्क, आस्था कुंज, जैसे सैनेट्री सैंडफिल स्थलों के विकास का कार्य प्रारंभ किया है। दि.वि.प्रा. ने वर्ष में 1,46,845 वृक्ष और 5,21,784 झाड़ियां लगाई तथा नए लॉन के रूप मे 18,735 एकड़ भूमि के साथ–साथ 103 बाल उद्यानों का विकास किया।

2.5 निर्माण गिराना

दि.वि.प्रा. भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए पुलिस की सहायता से नियमित रूप से निर्माण गिराने की योजना बनाई जाती है और निर्माण गिराए जाते हैं। दि.वि.प्रा. ने दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान 414 निर्माण गिराए और लगभग 29.44 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस कार्रवाई में 575 कच्चे, पक्के और आधे पक्के निर्माण गिराए गए। कभी–कभी वाद और पुलिस के राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पहले व्यस्त होने के कारण से निर्माण गिराने के कार्यक्रम पुनः निर्धारित करने पड़े।

2.6 कोटि नियंत्रण

दि.वि.प्रा. सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है। गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव आंमत्रित करने हेतु विभिन्न निरीक्षणों के दौरान फील्ड स्टाफ से बातचीत की जाती है। अपनी विभिन्न परियोजनाओं में कोटि नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दि.वि.प्रा. के कोटि आश्वासन कक्ष ने 122 निरीक्षण किए, 254 यादृच्छिक नमूने एकत्र किए और अपनी प्रयोगशाला में 5,793 जांच की। कोटि आश्वासन कक्ष के संगठित प्रयासों से भारतीय मानक ब्यूरो ने दि.वि.प्रा. को 'कोटि प्रबंधन प्रणाली' के लिए आईएस/आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण–पत्र दिया है।

2.7 प्रशिक्षण

दि.वि.प्रा. की प्रशिक्षण संस्था ने वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यालय में प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमीनारों, सम्मेलनों इत्यादि में दि.वि.प्रा. की सभी श्रेणियों के नामित कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया और 7 अन्य पेशेवर संस्थानों और आईएसटीएम और यूटीसीएस इत्यादि जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यालय से बाहर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 1,379 कर्मचारियों के लिए अड़तीस आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 130 कर्मचारियों के लिए 10 बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान कोई बाहरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभियांत्रिकी स्टाफ के लिए मध्यस्थता और योजना अधिकारियों के लिए सीआईएस, रिमोट सेंसिंग पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण संस्था ने समूह 'घ' कर्मचारियों, नि. श्रे. लि. और उ. श्रे. लि. तथा सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्मिक विभाग की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नए भर्ती किए गए सहायक अधिशासी अभियंताओं, 105 नि.श्रे.लि. और अनुकम्पा आधार पर नव नियुक्त स्टाफ जैसे नि.श्रे.लि. अनुचरों, सुरक्षा रक्षकों और मालियों इत्यादि के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

2.8 सूचना अधिकार अधिनियम–2005

दि.वि.प्रा. ने आर.टी.आई के लिए अपने कार्यालयों में 14 अलग कांउटर खोले जिनमें फार्म/आवेदन–पत्र/ शुल्क जमा किए जाते है। दि.वि.प्रा. ने पांच परामर्शदाता भी नियुक्त किए हैं जो आर.टी. आई.के संबंध में लोगों को परामर्श देते हैं। जन सूचना अधिकार से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु निःशुल्क आवेदन पत्र डिजाइन

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. मीडिया को सम्बोधित करते हुए

किया गया है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है क्योकि दि.वि.प्रा. सादे कागज पर, डाक द्वारा, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से भी आवेदन प्राप्त करता है। दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 86 जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए है। दि.वि.प्रा. के दूर–दूर तक फैले हुए कार्यालयों के कारण बड़ी संख्या में जन सूचना अधिकारियों की आवश्यकता है। सभी जन सूचना अधिकारियों को ई–मेल आईडी उपलब्ध कराई गई है ताकि जनता आसानी से उनसे और प्रधिकारियों से सम्पर्क कर सके।

जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान दि.वि.प्रा. ने 18399 आवेदन–पत्र प्राप्त किए जिसमें से 17489 आवेदन पत्र निपटाएं गए और 910 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो 30 दिनों से कम अवधि के है और प्रक्रियाधीन है। 281 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो आवेदकों से दस्तावेज, भुगतान प्राप्त न होने और आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित हैं।

2.9 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

i) इस अवधि के दौरान 76 निरीक्षण किए गए।

ii) निविदा में पारदर्शिता बढ़ाने और – निविदा की पूलिंग की रोकथाम करने के लिए दि.वि.प्रा. में ई– निविदा प्रणाली लागू की गई। ई–पेमेन्ट गेट वे भी प्रक्रियाधीन है।

iii) टेंट माफिया के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु, पार्को, समाज सदनों और टेंटों के लिए खाली स्थानों की बुकिंग को कम्प्यूटरीकृत किया गया। और ऑन लाइन बुकिंग को लागू किया गया। इसे फीड – बैक के आधार पर और सुधारा जा रहा है। दि.वि.प्रा. शीघ्रता से कल्याण मण्डपमों का निर्माण कर रही है। डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिग द्वारा भुगतान को स्वीकार करने हेतु ई पेमेंट गेट वे शुरू किया गया।

iv) दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपशीर्षक ''इंजीनियरिंग'' के अन्तर्गत दि.वि.प्रा. में सिविल (बी एण्ड आर), विद्युत एवं बागवानी में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची सहित विवरण जैसे कि आवेदन पत्र, पंजीकरण की वैधता, दिवालिया प्रमाण–पत्र, सूचीबद्ध (एन्लिस्टमैंट) आदेश, ठेकेदारों का कार्य निष्पादन आदि उपलब्ध है। हटाए गए (डीबार) ठेकेदारों की सूची और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

v) सक्रिय फीड बैक के आधार पर ग्रुप हाउसिंग और दि.वि.प्रा. के फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में ऑन लाइन परिर्वतन को और सुधारा जा रहा है। 3000 फ्री होल्ड मामलों को निपटाने हेतु लोक शिविर का आयोजन किया गया। आगे ऐसे और शिविरों का आयोजन करने की योजना है।

होटल ताज पैलेस में ''लैण्ड इक्नामिक्स – इश्यूस् एण्ड चैलेंजिस्'' पर कार्यशाला

3. प्राधिकरण का प्रबंध तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–3 के अंतर्गत किया गया। अतः यह एक निगमित निकाय है जिसके पास सम्पत्ति का अधिग्रहण करने, स्वामित्व रखने और उसके निपटान करने की शक्ति है। यह किसी पर मुकदमा चला सकता है और इस पर कोई मुकदमा चला सकता है। श्री नजीब जंग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (1973 मध्य प्रदेश कैडर); वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखक है, जिन्होने 9 जुलाई 2013 को 20 वें उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यभार संभाला है, वे तब से संगठन की विविध गतिविधियों पर निर्देश दे रहे हैं। वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है :

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

श्री नजीब जंग	09.07.2013 से 31.3.2014
श्री तेजेन्द्र खन्ना	01.04.2012 से 09.07.2013
श्री डी दीप्तिविलास, उपाध्यक्ष	01.04.2013 से 23.1.2014
श्री बलविन्दर कुमार, उपाध्यक्ष	23.01.2014 से 31.3.2014
श्री वेंकटेश मोहन, वित्त सदस्य	24.2.2014 से 31.3.2014
श्री अभय सिन्हा, अभियंता सदस्य	1.04.2013 से 31.3.2014
श्री सुभाष चोपड़ा, विधायक	1.4.2013 से 4.12.2014
श्री नसीब सिंह, विधायक	1.4.2013 से 4.12.2013
डॉ. हर्षवर्धन, विधायक	1.4.2013 से 4.12.2013
श्री डी. दीप्तिविलास अपर सचिव (डीएण्डएल) शहरी विकास मंत्रालय	1.4.2013 से 31.3.2014
श्रीमती नैनी जयासीलन सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड	1.4.2013 से 31.3.2014
श्री जितेन्द्र कुमार कोचर	1.4.2013 से 31.3.2014

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान प्राधिकरण की 10 बैठकें हुई और उनमें कुल 166 मदों पर विचार किया गया।

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद्

यह दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–5 के अंतर्गत गठित निकाय है। यह प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों, जो प्राधिकरण इसे भेजता है, पर सलाह देता है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद् का गठन निम्नानुसार रहा है:–

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य

अध्यक्ष

श्री नजीब जंग	9.7.2013 से 31.3.2014
श्री तेजेन्द्र खन्ना	1.4.2012 से 9.7.2013

लोकसभा

श्री जे.पी. अग्रवाल	1.4.2013 से 31.3.2014
श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन	1.4.2013 से 31.3.2014

राज्यसभा

श्री मोती लाल वोरा	1.4.2013 से 31.3.2014
श्री जे.पी.गोयल	1.4.2013 से 03.3.2014
श्री छत्तर सिंह	1.4.2013 से 03.3.2014
श्री सुनील देव	1.4.2013 से 03.3.2014
श्री रमेश पंडित	4.3.2013 से 31.3.2014
श्री मीर सिंह	1.4.2013 से 31.3.2014
श्री सुनील बजाज	1.4.2013 से 31.3.2014
श्री विजय मोटवानी	1.4.2013 से 31.3.2014
मुख्य अभियंता, एन डी जैड–1, सी.पी. डब्ल्यू डी	
श्री आर.के. कक्कड़ मुख्य वास्तुकार (सेवानिवृत) के.लो.नि.वि.	1.4.2013 से 31.3.2014
अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम	1.4.2013 से 31.3.2014
अध्यक्ष, सीईए	1.4.2013 से 31.3.2014
महानिदेशक (रक्षा सम्पदा) रक्षा मंत्रालय	1.4.2013 से 31.3.2014
अपर निदेशक (जन) (आर डी)	1.4.2013 से 31.3.2014

श्री जे.बी क्षीर सागर	1.4.2013 से 31.3.2014
मुख्य योजनाकार (टी सी पी ओ)	1.4.2013 से 31.3.2014
महाप्रबंधक (विकास),	1.4.2013 से 31.3.2014
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नगर स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि)	1.4.2013 से 31.3.2014

3.3 सूचना अधिकार कार्यान्वयन एवं समन्वय शाखा

सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी की भावना को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है, 12 अक्तूबर 2005 से लागू किया गया है।

इस नए अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनता द्वारा अपेक्षित सूचना को प्राप्त करना है। यह दि.वि.प्रा. के कार्यकलाप में केवल ज्यादा परिदर्शिता ही नहीं लाएगा अपितु विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक आसान भी बनाएगा।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए 14 अलग–अलग काउंटर खोले हैं जहां फार्म/आवेदन और शुल्क भी प्राप्त किया जाता है। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकारों को नियुक्त किया है जो जनता की आर.टी.आई से संबंधित प्रश्नों में सहायता करते हैं। आर.टी.आई से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार किया गया है, जो अनिवार्य नहीं और निःशुल्क है। दि.वि.प्रा. सादे कागज पर डाक द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि द्वारा भी आवेदन प्राप्त करता है।

दि.वि.प्रा ने विभिन्न विभागों से संबंधित 86 जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) नियुक्त किए हैं। पी.आई.ओ. की इतनी संख्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय दूर–दूर तक फैले हुए हैं। सभी पी.आई.ओ को ई–मेल आईडी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे जनता पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों से आसानी से संपर्क कर सकें।

अधिकारियों को आर.टी.आई. के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली उत्पादकता परिषद्, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया गया है। पी.आई.ओ. में जागरूकता लाने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर आर.टी.आई के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन–पत्र और आर. टी.आई के संबंध में अन्य विविध सूचना उपलब्ध हैं।

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक दि.वि.प्रा. को अधिनियम के अंतर्गत 18399 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 17489 आवेदन पत्रों को निपटाया गया और 910 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। ये आवेदन पत्र 30 दिनों से कम अवधि के हैं। 281 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो आवेदकों से दस्तावेज, भुगतान प्राप्त न होने और आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण 30 दिनों से अधिक लम्बित हैं।

3.4 स्टाफ क्वार्टर आबंटन शाखा

वर्ष 2013–14 के दौरान छयासठ स्टाफ क्वार्टर परिवर्तन (चेंज) के अंतर्गत और 243 नए स्टाफ क्वार्टर आंवटित किए गए।

स्टाफ क्वार्टर की श्रेणी	आवंटन	परिवर्तन
टाइप –1	77	7
टाइप –2	69	30
टाइप –3	70	22
टाइप –4 और उससे ऊपर के	27	7
कुल	**243**	**66**

3.5 नज़ारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन को देखना है। इस शाखा में निदेशक (नज़ारत) उप निदेशक (नज़ारत), दो सहायक निदेशक और अन्य अधीनस्थ स्टाफ शामिल हैं। इसलिए इस शाखा का मुख्य कार्य कार्यालय के कार्यों को सुगमता से करने के लिए विभिन्न मदों जैसेः– स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात फोटोकॉपी मशीन, फोटो कॉपियर पेपर, फैक्स मशीनों, सेल फोन, क्रॉकरी, केलकुलेटर्स, कम्प्यूटर आदि के लिए इंक कार्टरिज आदि उपलब्ध करना और उन्हें जारी करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात् डैजर्ट कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स आदि संबंधित स्टाफ को समय पर उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संबंधित स्टाफ को सारा सामान मुहैया कराने और उसका प्रबंध करने हेतु समय–समय पर बड़ी संख्या में बैठकें आयोजित की गई तथा स्टाफ को सभी मदें समय पर उपलब्ध कराई गई। यह शाखा कार्यालय स्थान के आबंटन का कार्य भी करती हैं।

3.6 हिन्दी विभाग

दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान हिंदी विभाग द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावशाली बनाने के लिए 32 निरीक्षण किए गए। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग–ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 5 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कि गई जिसमें 23 अधिकारियों और 156 कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

सितम्बर, 2013 में 'हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास' मनाया गया। इस अवधि के दौरान हिन्दी वाद विवाद, हिन्दी नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हिन्दी सुलेख (श्रेणी क, ख और ग के लिए), हिन्दी सुलेख (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) हिन्दी निबंध (श्रेणी क, ख और ग के लिए) हिन्दी निबंध (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) और हिन्दी समान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल 321 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में दिए गए पुरस्कारों की कुल राशि 1,10,600 रुपये है। हिन्दी प्रयोग

प्रोत्साहन मास के दौरान एक हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई।

उपर्युक्त कार्यों की अतिरिक्त सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में दि.वि.प्रा. के कार्यकलापों पर मौखिक साक्ष्य, लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य, मंत्रालय कार्य, संसद एवं समन्वय विभाग, दिल्ली मुख्य योजना, सी.आर.वी., मंत्रालय द्वारा प्रेषित वर्ष 2009 – 10 की रिपोर्ट, वर्ष 2008 की सी.ए.जी. रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, स्थाई समिति से संबंधित प्रश्नों, वार्षिक लेखा 2012–13, 13 श्रेणियों के ए.पी.ए.आर. फॉर्मों तथा वित्त एवं व्यय समिति के लिए प्रारूप ज्ञापनों से संबंधित सामग्री का अनुवाद कार्य किया गया।

इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले फॉर्मों, मानक पत्रों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदा सूचनाओं इत्यादि का अनुवाद कार्य इस अवधि के दौरान किया गया।

3.7 जन सम्पर्क विभाग

दि.वि.प्रा. के जन सम्पर्क विभाग को, भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यलापों

1 सितम्बर 2013 से 30 सितम्बर 2013 तक मनाए गए ''हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास'' समारोह का शुभारम्भ

को करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें तय करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेलकूद न्यूज लैटर, प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों/प्रेस भ्रमणों आदि की व्यवस्था भी करता है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञाप्तियां जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, प्रत्युत्तर जारी करना, जैसे कुछ अन्य कार्य हैं, जो इस विभाग को सौंपे गए हैं।

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की गतिविधियां

1. पच्चीस प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रजी एवं हिन्दी दोनों में) जारी की गई जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों और आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञाप्तियों को प्रिंट के साथ–साथ श्रव्य –दृश्य मीडिया में भी कवर किया गया। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सभी खबरों पर दि.वि.प्रा. ने संबंधित विभागों से सूचना एकत्र करने के पश्चात् समाचार पत्रों में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
2. दूरदर्शन पर ''डेटलाइन–दिल्ली'' के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक श्रव्य–दृश्य कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े में दिखाया गया। 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान 20 कड़ियों को तैयार किया गया और इनका प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया।
3. विभिन्न समाचार पत्रों में चौहतर विज्ञापन (अंग्रेजी + हिन्दी), डिजाइन एवं ले आउट के बाद प्रकाशित किए गए।
4. विभिन्न समाचार–पत्रों में छपी तेरह प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को 7 पत्र (खण्डन) जारी किए गए।
5. स्वागत कक्ष पर कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति और प्रेषण काउंटरों के द्वारा एक लाख सोलह हजार पाँच सौ साठ पत्र प्राप्त हुए और 68,083 पत्र प्रेषित किए गए।
6. पुस्तकालय के लिए तीन सौ इक्यावन नई पुस्तकें खरीदी गईं। दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 3,093 प्रेस कतरनें काटी गईं और वरिष्ठ अधिकारियों में जानकारी अथवा प्रतिक्रिया यदि कोई हो तो, के लिए प्रचालित की गई।
7. वर्ष 2012–13 की प्रशासनिक रिपोर्ट के सम्पादन, डिजाइन और मुद्रण का कार्य भी किया गया।
8. फोटो अनुभाग ने एक सौ साठ समारोहों को कवर किया पाँच हजार आठ सौ पचास फोटोग्राफ लिए गए और 2,170 फोटोग्राफ डेवलप, मुद्रित किए गए तथा प्रकाशन और रिकार्ड के लिए जारी किए गए।
9. वर्ष 2014 की दि.वि.प्रा. की तीन हजार पाँच सौ डायरियां और वर्ष 2014 के 25,000 वॉल कैलेण्डर मुद्रित किए गए और उन्हें वितरित किया गया।
10. संदर्भाधीन अवधि के दौरान वर्ष 2013–2014 के लिए विज्ञापन दरें आमंत्रित की गई। कुछ सीमा तक दरें कम करने के लिए

दि.वि.प्रा. विकास सदन का स्वागत कक्ष

विभिन्न समाचार पत्र प्रकाशनों से मोल–भाव किया गया और इसके बाद ही दरें निर्धारित की गई।

3.8 जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक दस लाख से भी अधिक आवासीय इकाइयों, 640 से भी अधिक व्यावसायिक स्थानों, 22 औद्योगिक सम्पदाओं, लगभग 3600 सांस्थानिक प्लॉटों, 13+3 खेल परिसरों और विशाल हरित क्षेत्रों का विकास किया है/ सुविधाओं की व्यवस्था की है। इतने अधिक विकास के कारण एक बड़े पैमाने पर जन–प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और अत्यधिक लेन–देन होने के कारण बड़ी संख्या में जन–शिकायतें भी होती रहती हैं।

दि.वि.प्रा. निपटान में विलम्ब को कम करने, शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने और सुविधाजनक सूचना प्रदान करने के लिए नवीन उपाय अपनाकर एक उपभोक्ता–अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संगठित प्रयास करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दि. वि.प्रा. द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में नियमित निगरानी, त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई, शक्तियों का प्रत्यायोजन और विभिन्न तरीकों द्वारा सूचना का विकेन्द्रीकरण एवं प्रसारण शामिल है।

दि.वि.प्रा. जन शिकायत निवारण की एक 4 टियर–प्रणाली अपना रहा है जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतों/समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच उप–निदेशकों, निदेशकों, आयुक्तों और प्रधान आयुक्तों से मुलाकात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष भी जनता से सभी कार्य दिवसों में मिलते हैं।

सन् 2007 में ''उप राज्यपाल के सुनवाई पद'' के रूप में एक पंचम टियर (फिफ्थ टियर) भी सृजित किया गया है। अब जनता अपनी शिकायतों को उच्चतम स्तर पर कर सकती हैं।

यह प्रणाली नागरिक संबंध और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के नाम से जानी जाती है और यह माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा 9 मई, 2007 को राज निवास में आरंभ की गई थी। यह प्रणाली एक ''सहायता कक्ष'' है जो जनता से दिल्ली के विभिन्न नगर निकायों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है। नागरिक अपनी शिकायतें एक नंबर 155–355 पर कॉल करके दर्ज करा सकता है। दि.वि.प्रा. से संबंधित सभी शिकायतें संबंधित विभागाध्यक्ष की मेल आईडी पर तत्काल प्रदर्शित की जाती है। यह साइट सभी विभागाध्यक्षों द्वारा रोजाना खोली जाती हैं। इसके अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को तत्काल दूर किया जाता है। पंजीकरण के समय दिए गए टेलीफोन नंबर पर शिकायतकर्ता से सम्पर्क भी किया जाता है। इन शिकायतों का निपटान ऑन लाइन रिकॉर्ड किया जाता है और उप–राज्यपाल द्वारा मॉनीटर किया जाता है संतोषजनक निवारक कार्रवाई किए जाने के बाद ही ये शिकायतें सूची से हटाई जाती हैं।

शिकायतों का निपटान

1. **स्वागत काउन्टरों पर प्राप्त शिकायतें:** जनता द्वारा स्वागत काउन्टरों पर प्रस्तुत की गई शिकायतें कम्प्यूटीकृत होती हैं और प्रत्येक शिकायत के लिए क्रम संख्या के साथ एक पावती दी जाती है। काउन्टरों पर प्रति दिन प्राप्त सभी शिकायतों की सूची सम्बंधित विभागाध्यक्षों को मॉनीटरिंग और त्वरित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

2. **जन सुनवाई के दिनों में प्राप्त शिकायतें:** उप–निदेशकों, निदेशकों और आयुक्तों द्वारा जन सुनवाई प्रत्येक कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे के मध्य की जाती है।

   सार्वजनिक सुनवाई में कोई शिकायतकर्ता व्यक्ति उसी समय समाधान हेतु विभागाध्यक्षों, संबंधित निदेशक और उपनिदेशक से मिल सकता हैं। संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा इन शिकायतों की नियमित जांच की जाती है।

3. उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायतें, संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजी जाती हैं और उपाध्यक्ष द्वारा निगरानी की जाती है।

4. ''उप राज्यपाल के सुनवाई पद'' से प्राप्त शिकायतों को तत्काल निपटान हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है और अद्यतन स्थिति वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

5. शिकायतें जन शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से भी प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें दि.वि. प्रा. के जन शिकायत विभाग द्वारा तुरन्त निवारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दी जाती है।

   इन शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उनके तीव्र निपटान के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। उनके निपटान की मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च स्तर पर समय–समय पर नियमित समीक्षा की जाती है।

6. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दि.वि.प्रा. को भेजी जाने वाली शिकायतें निवारण हेतु उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं। उनके निवारण की समीक्षा समय–समय पर आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. और मंत्रालय द्वारा की जाती हैं।

विकास सदन में लोक शिविर

इस प्रकार उपभोक्ता–संतुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. ने एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई हुई है। उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि के लिए स्वागत कक्ष पर सलाहकारों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है। मार्ग दर्शन करने के लिए और फार्म भरने, प्रलेखन, परिकलन आदि संबंधी सहायता करने के लिए स्वागत कक्ष में पाँच सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये सेवाएं आम जनता के लिए वेबसाइट और विकास सदन एवं विकास मीनार स्थित टच स्क्रीन कियोस्क पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त हैं।

2013–2014 के दौरान प्राप्त की गई और निपटान की गई शिकायतों की स्थिति

1. 1 अप्रैल, 2013 तक बयासी मामले लंबित थे और जन शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से 32 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 70 मामलों को निपटाया जा चुका है और 44 मामले विभागाध्यक्षों के यहां लंबित हैं।
2. दिनांक 1 अप्रैल, 2013 तक एक सौ बीस मामले लंबित थे और डी.ए.आर.पी.जी. से 21 नए मामले प्राप्त हुए और इनमें से 79 मामलों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निपटाया गया है तथा 62 मामले उनके यहां लंबित हैं।
3. दिनांक 1 अप्रैल, 2013 तक सत्तावन मामलें लंबित थे और शहरी विकास मंत्रालय से 69 नई जन शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से 101 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया और शेष मामले उनके यहां लंबित हैं।
4. निदेशक (जन शिकायत) के कार्यालय में सैंतालीस शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 6 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया तथा शेष उनके यहां लंबित हैं। विकास सदन के स्वागत कक्ष में रखी हुई 'आगन्तुक पुस्तिका' के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

लोक शिविर, विकास सदन

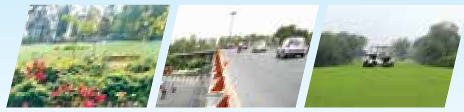

4. कार्मिक विभाग

4.1 दि.वि.प्रा. टीम का प्रत्येक सदस्य बहुमूल्य संगठनात्मक सम्पत्ति है। विद्यमान जॉब–प्रोफाइल्स को नियंत्रित करने, कर्मचारी विकास, शिकायतों का समाधान करने, अनुशासन बनाए रखने और प्रबंधन के लिए पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। कार्मिक विभाग दि.वि.प्रा. कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सेवा मामलों पर कार्यवाही करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की गईं।

4.2 दूरदर्शिता, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य

मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके आम जनता की सेवा करने में अनुकूलतम उत्पादकता प्राप्त करना, अपने कर्मचारियों में पेशेवर दक्षता पैदा करना, पहचान करने के लिए जांच एवं प्रति – जांच करना, निगरानी करना, नेतृत्व गुणों और विशेषताओं को पुरस्कृत कराना और कार्य–संस्कृति को प्रोत्साहित करना कार्मिक विभाग के कार्य हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित गतिविधियों पर आधारित हैंः–

- समुचित भर्ती ओर पदोन्नति द्वारा मानव संसाधनों को उपलब्ध कराना, अनुशासनात्मक मामलों का समय पर और समुचित समाधान करना तथा सर्विस के सभी मामलों में आरक्षित और अल्पसंख्यक वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- मानव संसाधनों का विकास करना अर्थात् प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना।
- संवर्ग नियोजन अर्थात् संगठन की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न संवर्ग में पदों की समीक्षा करना, पुनः संरचना (रिस्ट्रक्चरिंग)।
- कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रगति करना।
- स्टाफ की शिकायतों को दूर करके उनका कल्याण करना, सेवा निवृत्ति–देयताओं का समय पर भुगतान करना और कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती करना।

दि.वि.प्रा. में कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैः

4.3 दिनांक 31.03.2014 को कर्मचारियों की स्थिति

समूह	क	ख	ग	कुल (नियमित–कर्मचारी)	वर्क चार्ज (नियमित)
	402	2,809	3,634	6,845	7,500

4.4 की गई पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	कुल
	49	127	139	315

4.5 की गई भर्तियां

समूह	क	ख	ग	कुल
	23	–	219	242

4.6 नियमित की गई पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	कुल
	173	116	15	304

4.7 दी गई एसीपी/संशोधित एसीपी

समूह	क	ख	ग	कुल
	35	433	2,167	2,635

4.8 वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

समूह	क	ख	ग	कुल
	454	1,932	3,420	5,806

विकास सदन में कम्प्यूटर ट्रेनिंग

आस्था कुंज का मनोहारी दृश्य

4.9 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निपटाए गए सेवा निवृत्ति/मृत्यु के मामले

1.	सेवानिवृत्ति	977
2.	मृत्यु	267
3.	दुर्घटना बीमा योजना पर प्राशुल्क (पी.ए.आई.पी.)	03
4.	सामान्य बीमा योजना (जी.आई.एस.)	207
5.	हितकारी निधि	–

वर्ष 2014–15 के लिए कार्मिक विभाग की वार्षिक कार्य योजना

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनः संरचना (रिस्ट्रक्चरिंग) का अध्ययन।
2. कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र में ज्ञान और कौशल को बनाए रखने, उसके उन्नयन और अद्यतन रखने के लिए प्रशिक्षण देना जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो सके।
3. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों द्वारा पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति। परीक्षा कोटे से रिक्तियां भरने के लिए विभागीय परीक्षाएं लेना।
4. भर्ती विनियमों को अद्यतन करना। इस प्रक्रिया में जांच समिति द्वारा की गई समीक्षा शामिल है तथा इन अनुशंसाओं को अनुमोदनार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।
5. वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)। सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट (वीसीआर) की उपलब्धता की शर्त पर पात्र कर्मचारियों को एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की अनुमति देना।
6. एपीएआर के समापन के लिए प्रयास करना।
7. समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक चल सम्पत्ति विवरण भरने को सुनिश्चित करना।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अशक्त व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति को लागू करना।
9. कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली में नियमित कर्मचारियों के विवरणों को अद्यतन करना।
10. अधिवर्षिता प्राप्त करने के दिन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बकायों के भुगतान को सुनिश्चित करना।
11. वे कर्मचारी, जिनकी सेवा अवधि में मृत्यु हो गई है, उन कर्मचारियों के संबंधियों और परिचितों को बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
12. **खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा भर्तीः** कार्मिक विभाग खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सीधी कोटे की भर्तियों को भरने के प्रयास करेगा। भर्ती प्रक्रिया में प्रायः कार्य बढ़ जाता है जैसेः– भर्ती विनियमों को अद्यतन करना, न्यूनतम संभावी कीमत पर भर्ती परीक्षा लेने वाली एक एजेंसी का चयन, अत्यधिक आवेदन पत्रों को संभालना इत्यादि।

विकास सदन में महिला दिवस का आयोजन

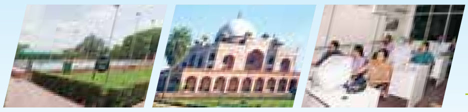

5. सतर्कता विभाग

5.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सेवा में सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है।

5.2 दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग, विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों और उन पर कार्यवाही व गहन जांच और जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लेकर आरोप पत्र (चार्टशीट) तैयार करता है। सतर्कता विभाग जांच रिपोर्ट का विश्लेषण भी करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग द्वारा अपीलों, पुनर्विचार याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और निलम्बन अवधि के नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है। निष्कर्षतः सतर्कता विभाग व्यवस्था, शिकायतों की जांच के दौरान सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित सुधार की सलाह देता है। इससे विभाग में निवारक सतर्कता में सहायता मिलती है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान शिकायतों, प्राथमिक पूछताछ एवं अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में विवरण निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य शिकायतें

अवधि	प्राप्त	निपटाए गए
1.4.2013 से 31.3.2014	569	1,176

2. प्राथमिक पूछताछ

अवधि	प्राप्त	निपटाए गए
1.4.2013 से 31.3.2014	17	130

3. आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही

आरंभ की गई अवधि	जारी किये गए आरोप पत्रों की संख्या	भारी दंड	मामूली दंड
1.4.2013 से 31.3.2014	81	64	17

4. निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

अवधि	निपटाए गए मामले	लगाए गए दंड	दोष मुक्त
1.4.2013 से 31.3.2014	69	61	8

5.3 प्रणाली में सुधार के प्रयास /निवारक सतर्कता

i) इस अवधि के दौरान 76 निरीक्षण किए गए।

ii) दि.वि.प्रा. में पारदर्शिता को बढ़ाने और निविदा की पूलिंग की रोकथाम के लिए ई–निविदा प्रणाली लागू की गई। ई–पेमेंट गेट वे तैयार किया जा रहा है।

iii) टेंट माफिया को नियंत्रित करने के लिए पार्कों, समाज सदनों एवं टेंटों के लिए खाली स्थानों की बुकिंग को कम्प्यूटरीकृत किया गया और ऑन लाइन बुकिंग आंरभ की गई। सक्रिय फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार किया जा रहा है। दि.वि.प्रा. कल्याण मण्डपम बना रहा है। डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिग द्वारा भुगतान को स्वीकार करने के लिए ई–पेमेंट गेट वे भी शुरू कर दिया गया है।

iv) दि.वि.प्रा. में सिविल (बी एवं आर) विद्युत एवं उद्यान के ठेकेदारों के विस्तृत विवरण जैसे ठेकेदारों के आवेदन, पंजीकरण की वैधता, ऋण शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र, सूचीकरण आदेश, ठेकेदारों के कार्य निष्पादन आदि सहित पंजीकरण की सूची दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in के उपशीर्ष ''Engineering'' में उपलब्ध है। कार्य से वंचित किए गए ठेकेदारों/ऐसे ठेकेदार जिनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है, की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

v) दि.वि.प्रा. की किसी भी संपत्ति को लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना।

vi) **संपत्तियों का उपयोगः** ढांचागत स्थायित्व प्रमाण–पत्र।

vii) मध्यस्थता मामलों का पर्यवेक्षण।

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा

8. पहाड़गंज इत्यादि में क्षतिपूर्ति के मामलों को समाप्त करने के उपाय और नजूल संपदा संपत्ति का सुझाव दिया गया।

9. चूल्हा कर सम्पत्तियों के मामलों को समाप्त करने के उपाय।

10. पार्किंग लॉट्स की स्थिति में सुधार के उपाय।

11. अधिक समय से लंबित सार्वजनिक परिसरों से बेदखली के मामलों का समाधान।

12. दि.वि.प्रा. के समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों द्वारा सम्पत्ति विवरण भरना अनिवार्य किया गया है और इस संबंध में आयुक्त (कार्मिक) द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2013 को परिपत्र जारी किया गया है।

13. **कल्याण मंडपम का तेजी से निर्माणः** सार्वजनिक परियोजनाओं में तेजी से निर्माण के लिए प्री–फैब प्रौद्योगिकी का उपयोग।

14. प्राप्त फीडबैक के आधार पर समूह आवास फ्लैटों और दि.वि.प्रा. फ्लैटों के लीज–होल्ड से फ्री होल्ड में ऑनलाइन परिवर्तन में सुधार किया जा रहा है। 3000 फ्री होल्ड मामलों के समाधान के लिए लोक शिविरों का आयोजन किया गया। आगे और शिविरों के आयोजन की योजना है।

आस्था कुंज पार्क

6. विधि विभाग

6.1 विधि विभाग के प्रमुख मुख्य विधि सलाहकार हैं। विभाग का प्रमुख कार्य, समय–समय पर भेजे गए प्रशासनिक मामलों पर विचार करते समय नीति, नियमों, विनियमों और अधिनियमों पर विशेष सलाह देना है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को सहायता देने के लिए यह विभाग विभिन्न शाखाओं एवं न्यायालयों में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरुद्ध और उसके द्वारा सभी दायर न्यायालयी मामलों की निगरानी करता है। प्रशासनिक विभागों द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए अपील दायर करने और आदेशों, निर्णय को लागू करने संबंधी मामलों की व्यापक जांच की जाती है।

6.2 वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायालयी मामलों का विवरण निम्नलिखित है:–

दिनांक 01.04.2013 को लम्बित कुल मामले	:	16,515
दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक के दौरान जोड़े गए नए मामले	:	4,320
दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान निर्णीत मामले	:	3,844
दिनांक 31.03.2014 को लम्बित कुल मामले	:	16,991

नेताजी सुभाष खेल परिसर

7. प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग

7.1 प्रणाली विभाग

7.1.1 दि.वि.प्रा. की वेबसाइट को नया रूप देना

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए जुलाई, 2013 में नया रूप दिया गया। मार्च, 2013 में इसे अशक्त व्यक्तियों के अनुकूल भी बनाया गया। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर जनता के लिए विभिन्न ऑनलाइन अनुप्रयोग भी चल रहे हैं।

7.1.2 भूमि रिकॉर्डो का अंकीकरण (डिजिटाइजेशन)

वर्ष 2013–14 में 27 अन्य गांवों के नक्शों को स्कैन और डिजिटाइज किया गया। इन गांवों का राजस्व विवरण डिजिटाइज नक्शों के साथ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जनता के प्रति पारदर्शिता लाने की दिशा में यह एक कदम है।

7.1.3 फाइलों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन

दि.वि.प्रा. की फाइलों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का महत्वाकांक्षी कार्य फरवरी, 2014 में शुरू किया गया और प्रतिदिन लगभग 300 फाइलों को स्कैन और डिजिटाइज किया जा रहा है। फाइलों की स्कैन एवं डिजिटाइज सूचना, दीर्घावधि पुरालेखीय और सूचना की तीव्र पुनः प्राप्ति में उपयोगी होगी। यह सूचना न्यायालय मामलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी और फाइलों के गुम होने अथवा खोने पर राहत देगी।

7.1.4 दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायतों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली

दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन अनुप्रयोग तैयार और विकसित किया गया है। इस प्रणाली पर लगभग 200 शिकायतों को अपलोड किया गया है।

7.1.5 दि.वि.प्रा. के संबंध में दिल्ली के सांसदों और विधायकों के मामलों की निगरानी के लिए ऑन लाइन प्रणाली

दिल्ली के सांसदों और विधायकों द्वारा उनके क्षेत्र के कार्यों के संबंध में विभिन्न मुद्दों से संबंधित प्रस्तावों और अनुरोधों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन अनुप्रयोग तैयार और विकसित किया गया है। इस प्रणाली के द्वारा एक हजार दो सौ तिरेपन सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं और इनकी निगरानी की गई है।

7.1.6 सांस्थानिक संपत्तियों के डाटा बेस का निर्माण

दि.वि.प्रा. की सांस्थानिक संपत्तियों के डाटाबेस के निर्माण के लिए एक प्रणाली तैयार की गई है और सांस्थानिक शाखा द्वारा इस प्राणाली में 3808 सांस्थानिक संपत्तियों का विवरण डाला गया है।

7.1.7 पेंशन संबंधी कार्रवाई की प्रणाली तैयार, विकसित और लागू करना

पेंशन संबंधी कार्रवाई के लिए एक वेब समार्थित अनुप्रयोग तैयार विकसित और लागू किया गया हैं। इस प्रणाली के माध्यम से दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के पेंशन के एक हजार तीन सौ चौवन मामलों पर कार्रवाई की गई। दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति का लाभ देने में यह अनुप्रयोग काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

7.1.8 ऑनलाइन समस्या निदान सेवा

दि.वि.प्रा. के किसी भी विभाग के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आम जनता हेतु एक ऑनलाइन सुविधा की व्यवस्था की गई है और इस अनुप्रयोग के माध्यम से इन शिकायतों का ऑनलाइन उत्तर दिया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पाँच हजार दो सौ उनचास शिकायतों का उत्तर दिया गया है।

7.1.9 चिकित्सा संबंधी दावे की प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन कार्यवाही

चिकित्सा संबंधी दावे की प्रतिपूर्ति के लिए एक वेब समर्थित अनुप्रयोग तैयार, विकसित और लागू किया गया। इस प्रणाली द्वारा दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी दावे की प्रतिपूर्ति के 25,384 मामलों पर कार्रवाई की गई। दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी दावे की समय पर प्रतिपूर्ति के लिए यह अनुप्रयोग काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

7.10 ऑनलाइन कार्मिक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली

दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की कार्मिक विभाग से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए एक वेब समर्थित अनुप्रयोग तैयार विकसित तथा लागू किया गया और इस प्रणाली के माध्यम से दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की 161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

7.1.11 कंप्यूटर आदि की मरम्मत के लिए ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली

कंप्यूटर आदि की मरम्मत से संबंधित शिकायतों के ऑन लाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए वेब समार्थित अनुप्रयोग तैयार और विकसित किया गया और इसे संचालित किया गया अब तक इस प्रणाली में 4383 शिकायतें पंजीकृत की जा चुकी हैं।

7.1.12 बायो–मीट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली

विभिन्न समितियों द्वारा विनिर्दिष्टियां एवं निविदा दस्तावेज तैयार किए गए और बायो–मीट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली लगाने के लिए 01 मार्च, 2014 में खुली बोली द्वारा ठेका दिया गया। इसके लागू होने से दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की समय की पाबन्दी और उपस्थिति की बेहतर निगरानी होगी।

7.1.13 ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली एवं ऑनलाइन परिवर्तन में भुगतान गेटवे का कार्यान्वयन

कॉर्पोरेशन बैंक के भुगतान गेटवे को ऑनलाइन बुकिंग एवं ऑनलाइन परिवर्तन आवेदन–पत्रों के साथ जोड़ा गया है जिसकी सहायता से आम जनता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से बुकिंग और परिवर्तन प्रभार आदि का अब ऑनलाइन भुगतान कर सकती है। 7000 से अधिक आवेदक भुगतान गेटवे के माध्यम से कुछ करोड़ रूपए का ऑनलाइन भुगतान कर चुके हैं।

7.1.14 दि.वि.प्रा. के बजट को कंप्यूटर पर संकलित करना

वर्ष 2013–2014 का दि.वि.प्रा. का बजट संकलित किया जा चुका है और वर्ष 2014–15 का बजट इस अनुप्रयोग के माध्यम से संकलित किया जा रहा है।

7.1.15 दि.वि.प्रा. के सभी विभागों में फाइल ट्रैकिंग को लागू करना

दि.वि.प्रा. के सभी विभागों में फाइल ट्रैकिंग अनुप्रयोग को लागू किया गया है। फाइल ट्रैकिंग प्रणाली पर विभिन्न विभागों द्वारा 28 हजार से अधिक फाइलें अपलोड की गई हैं।

7.1.16 वेतन पर्चियों का ऑनलाइन प्रावधान

लगभग 15000 दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए दि.वि.प्रा. की वेबसाइट से ऑनलाइन वेतन पर्ची की प्राप्ति का प्रावधान किया गया है।

7.1.17 जनता और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए विभिन्न नए अनुप्रयोगों का विकास

ऑनलाइन स्टाफ क्वार्टर आबंटन प्रणाली भवन नक्शा संस्वीकृतियों की ऑनलाइन निगरानी के डिजाइन और विकास के लिए काम शुरू किया जा चुका है। इन अनुप्रयोगों पर जून 2014 तक काम पूरा कर लिया जाएगा।

7.1.18 संपूर्ण दि.वि.प्रा. के कंप्यूटरीकरण की परियोजना

संपूर्ण दि.वि.प्रा. के कंप्यूटीकरण के लिए प्रणाली विभाग की पहल को अंततः 12 जून, 2013 को निश्चित रूप दे दिया गया और माननीय उपराज्यपाल के स्तर पर प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटशन) के द्वारा स्क्रीनिंग के विभिन्न दौर के बाद कंप्यूटरीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर.एफ.पी दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए 9 मार्च, 2014 को सलाहकार (ई एण्ड वाई) का चयन किया गया। सलाहकार ने काम शुरू कर दिया है। कंप्यूटरीकरण के द्वारा दि.वि. प्रा. आम जनता को उनकी सुविधा के अनुसार अर्थात् उनके घरों में साइबर कैफे में, विभिन्न नागरिक सेवा केन्द्रों में और संपूर्ण विश्व में अपनी सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान कर पाएगा। संपूर्ण कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य दि.वि.प्रा. को डिजिटल बनाना है।

7.1.19 दि.वि.प्रा की भू–आकाशीय आंकड़ों की जरूरतों के लिए जी.एस.डी.एल. के साथ गठजोड़

जियो स्पेटियल डाटा लिमिटिड दिल्ली सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम तथा दिल्ली के भू–आकाशीय आंकड़ों (जियो स्पेटियल डाटा) के लिए केन्द्रीय एजेंसी है। योजना एवं प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए दि.वि.प्रा. में भू–आकाशीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जी.एस.डी.एल. के साथ आपसी सहमति के समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया सितंबर, 2013 में शुरू हुई थी और अंततः दि.वि.प्रा. के भूमि प्रबंधन विभाग द्वारा जी.एस.डी.एल. के साथ फरवरी, 2014 में आपसी सहमति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब दि.वि.प्रा. अपने दिन प्रतिदिन के उपयोग की आवश्यकताओं के लिए जी.एस.डी.एल. के भू–आकाशीय आंकड़ों का उपयोग कर सकता है।

बाबा गंगनाथ खेल परिसर

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के व्यावसायिक ज्ञान और दक्षता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता का निर्धारण भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अलग–अलग अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त नामों पर कार्रवाई करता है।

7.2.2 वर्तमान वर्ष अर्थात् 2013–2014 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. ने अपने प्रशिक्षण संस्थान तथा 7 अन्य व्यावसायिक संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों जैसे कि आई.एस.टी.एम. और यू.टी.सी.एस आदि द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित सभी श्रेणियों के दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोजित किए गए कार्यक्रमों और उनमें भाग लेने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	विवरण	वर्षवार	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2011–12 2012–13 2013–14	42 31 38	1,520 1,722 1,379
2.	बहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली से बाहर)	2011–12 2012–13 2013–14	22 18 10	253 97 130
3.	विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2013–14	शून्य	शून्य

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आवास विभाग एवं भूमि विभाग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन पाठ्यक्रमों सहित अन्य विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान भूमि प्रबंधन विभाग के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभियांत्रिकी कर्मचारियों के लिए माध्यस्थम् और योजना अधिकारियों के लिए जी.आई.एस. रिमोट सेंसिग आदि पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7.2.3 इस प्रशिक्षण संस्थान ने क्रमशः निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और सहायकों के पद हेतु विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले समूह–'घ' के कर्मचारियों, निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कार्मिक विभाग को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

7.2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नए भर्ती किए गए सहायक अधिशासी अभियंताओं, 105 निम्न श्रेणी लिपिक, जिनमें अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए निम्न श्रेणी लिपिक अनुचर, सुरक्षा गार्ड, माली आदि शामिल हैं, के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वसंत कुंज में आवास

8. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप

8.1 आवास

वर्ष 2013–14 का आरम्भ इस आशाजनक संकेत से हुआ है कि मुख्य रूप से रोहिणी और नरेला में प्री–फेब तकनीक की लगभग 30,000 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन थी। मई, 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरवाला गांव के ग्रामीणों की याचिका पर दि.वि.प्रा. को सभी मुख्य विकास कार्यों, जिसमें रोहिणी में आवासों का निर्माण–कार्य भी शामिल है, को रोकने के लिए एक यथापूर्व स्थिति नोटिस जारी किया।

एक विशेष वकील करने के बाद दि.वि.प्रा. की याचिका पर सुनवाई की गई और जनवरी, 2014 में दि.वि.प्रा. ने सभी कानूनी विवादों को मात देकर आवासों के निर्माण कार्य को पुनः शुरू किया। इस कानूनी विवाद में छः माह से ज्यादा का कठिन समय लगा।

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को प्रगतिधीन आवासों का संक्षिप्त विवरण और निर्माण कार्य हेतु शुरू किए गए नए आवासों का विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र.स.	विवरण	एच.आई.जी.	एम.आई.जी.	एल.आई.जी.	ई.डब्ल्यू.एस/जनता	कुल
1.	01.04.2013 को प्रगतिधीन आवास	1,801	1,379	699	26,280	30,159
2.	वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू किए गए नए आवास	शून्य	6,385	24,660	6,891	37,936
3.	वर्ष 2013–14 के दौरान पूरे किए गए आवास	1,241	800	480	9,260	11,781
4.	31.3.2014 को प्रगतिधीन आवास	560	7,764	24,879	23,911	57,114

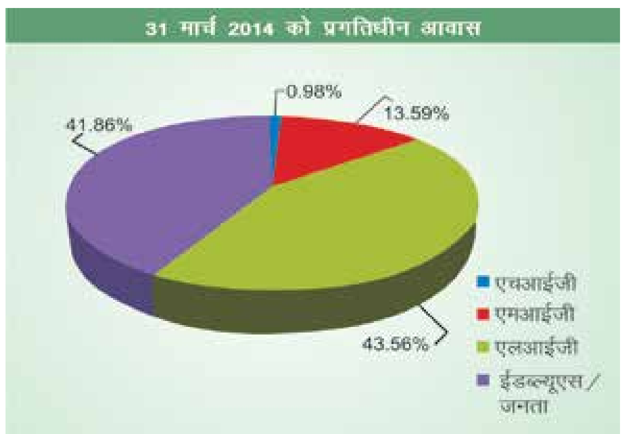

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013–14 के दौरान दिल्ली के शहरी गरीब निवासियों के लिए निर्माण हेतु 24,660 निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.), 6,891 ई. डब्ल्यू.एस. और 6,385 श्रेणी–II के नए आवासों का निर्माण–कार्य शुरू किया गया।

8.2 मुख्य विकास योजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुख्य योजना के अनुसार शहर की सीमा को बढ़ाने के लिए भूमि के विकास की प्रक्रिया को जारी रखा है। द्वारका, नरेला और रोहिणी नए उपनगर हैं, जो विकासाधीन हैं। इन उप नगरों में मुहैय्या कराई जा रही मुख्य वास्तविक आधारिक संरचनाओं में सड़कें, सीवरेज, जल–निकास व्यवस्था, जलापूर्ति, विद्युत लाइन शामिल हैं। मुख्य विकास कार्यों और प्रगति की सूची निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है:

योजना का नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टेयर में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती जल निकास कि.मी में
द्वारका फेज–2	2098	बी	180.83	117.062	139.745	271.90
नरेला	7282 / 750	ए	96.90	49.00	33.00	79.00
			82.26	37.00	28.00	60.00
रोहिणी फेज–4 एवं 5	415+444+153.55+122.92=1135.47 हैक्टे.	ए	50.00	52.00	56.00	97.00
		बी	07.00	07.00	22.00	09.00

नोटः ए: प्रदान की गई सेवाएं बीः प्रदान की जाने वाली सेवाएं

8.3 समाज सदन

जनता की अधिक से अधिक भलाई के लिए दि.वि.प्रा. ने बड़े स्तर पर समाज सदनों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। वर्ष के दौरान दो समाज सदनों के निर्माण–कार्य को पूर्ण किया गया। 25 समाज सदनों का निर्माण कार्य प्रगतिधीन है और 33 अन्य समाज सदनों के निर्माण हेतु योजना बनाई गई।

8.4 पार्कों में प्रकाश व्यवस्था

एक विशेष अभियान के रूप में दि.वि.प्रा. ने 60 से ज्यादा पार्कों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण किया है जिसका जनता द्वारा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।

8.5 स्व–स्थाने विकास

1) **कठपुतली कॉलोनीः** आंबटितियों को अस्थाई रूप से स्थानांतरित करने के लिए ट्रांजिट आवास का कार्य पूरा किया गया। व्यक्तिगत ट्रांजिट आवासीय इकाइयों के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन भी लिए गए। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण स्थानांतरण–कार्य नहीं किया जा सका और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया।

2) **जेलरवाला बाग, अशोक विहार में स्व–स्थाने विकास**

   योजना का ले–आउट प्लान जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और दि.वि.प्रा. की वास्तुकला विंग द्वारा ड्राइंग जारी की गई। एक हजार छः सौ पचहत्तर इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। ''डिजाइन एवं निर्माण'' आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और वे संवीक्षाधीन हैं।

8.6 शहरी विस्तार सड़कें

दि.वि.प्रा. ने तीन शहरी विस्तार सड़कों के निर्माण के साथ–साथ वहां आर.ओ.बी. का निर्माण–कार्य भी शुरू किया है। वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

दि.वि.प्रा. ने निम्नलिखित तीन शहरी विस्तार सड़कों के निर्माण के साथ–साथ दिल्ली करनाल रेलवे लाइन और दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. का निर्माण–कार्य शुरू किया है। इन सड़कों का निर्माण दिल्ली में यातायात के बोझ को कम करने के लिए, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए और मुख्य सड़कों के साथ कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए तथा शहरी क्षेत्रों के विकास–कार्य में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है।

8.6.1 शहरी विस्तार सड़क संख्या 1 (80 मीटर मार्गाधिकार)

यह सड़क वजीराबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग–8 तक है जिसकी लम्बाई 57.24 कि.मी. है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग–1, पश्चिमी यमुना नहर और राष्ट्रीय राजमार्ग–10 से होकर गुजरती है। दिल्ली करनाल रेलवे लाइन से लेकर 3.43 कि.मी. तक की सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली औचन्दी रोड़ तक (1.17 कि.मी) सड़क के आंशिक भाग का निर्माण पूरा कर लिया है। दिल्ली करनाल रेलवे लाइन से सन्नौठ तक (2.42 कि.मी.) के भाग में बीच की पट्टी के दोनों और दो–दो लेन की सड़को का निर्माण–कार्य पूरा कर लिया गया है। सन्नौठ से पश्चिमी यमुना नहर तक की दूरी (2.64 कि. मी.) का निर्माण कार्य फुटपाथ डिजाइन के आधार पर निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सी.आर.आर.आई ने परामर्शदाता नियुक्त कर लिया है।

वजीर पुर डिपो स्थित फ्लाई ओवर

दिल्ली करनाल रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी के लिए शासी निकाय यूटीपैक द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। स्थल पर भू–तकनीकी जांच की जा रही है।

8.6.2 शहरी विस्तार सड़क संख्या 2 का निर्माण (100 मीटर मार्गाधिकार)

वजीराबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग–2 तक इस सड़क की लम्बाई 79.12 कि.मी. है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग–1, पश्चिमी यमुना नहर, राष्ट्रीय राजमार्ग–10, नजफगढ़ नाला और राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग–1 से दिल्ली करनाल रेलवे लाइन तक (3.20 कि.मी.) की सड़क का निर्माण–कार्य बीच की पट्टी से दो–दो लेन के रूप में पूरा किया जा चुका है। दिल्ली करनाल रेलवे लाइन से पश्चिमी यमुना नहर तक (3.42 कि.मी.) की सड़क का निर्माण बीच की पट्टी से दोनों ओर तीन–तीन लेन के रूप में किया गया है। सी.एल.सी और डब्ल्यू.वाई.सी. पर पुल का निर्माण–कार्य हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा निक्षेप–कार्य के रूप में किया गया है।

बवाना एस्केप नाले पर ड्रेन संख्या–6 पर पुल का निर्माण–कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निक्षेप–कार्य के रूप में किया जा रहा है। यह कार्य 95 प्रतिशत किया जा चुका है। दिल्ली करनाल रेलवे लाइन पर आर. ओ.बी. के लिए भी शासी निकाय यूटीपैक द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–10 को बक्कर वाला के साथ जोड़ने वाली 2.95 कि.मी. लम्बाई की सड़क के निर्माण–कार्य को सौंप दिया गया था, परन्तु अभी इसे स्थल पर ज्यादा पानी होने के कारण रोक दिया गया है। सी.आर.आर.आई. द्वारा विनिर्देशनों में संशोधन किया गया है जिसे परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्य संशोधित विनिर्देशनों के साथ सक्षम प्राधिकारी की ओर से अनुमोदन प्राप्त करने पर शुरू किया जाएगा।

वजीराबाद यमुना नहर (डब्ल्यू.वाई.सी.) से कराला माजरी गांव के निकट, कंझावला रोड तक की 5.8 कि.मी. लम्बी सड़क आंशिक संरेखण के लिए केवल थोड़ी सी लम्बाई में प्रगतिधीन है, जो रोहिणी से होकर गुजरती है। इसके बाद शेष सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीण ों की ओर से विरोध के कारण और इसके कुछ भाग का डी.एस.आई. आई.डी.सी. के कब्जे में होने के कारण रोक दिया गया है।

दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. के लिए शासी निकाय यूटीपैक द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। स्थल पर भू–तकनीकी जांच शुरू की गई है।

iii) शहरी विस्तार सड़क संख्या 3 का निर्माण (100 मीटर मार्गाधिकार)

इस सड़क की लम्बाई 20.80 कि.मी. (100 मीटर मार्गाधिकार) है, जो वजीराबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग–10, तक है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग–1, पश्चिमी यमुना नहर से होकर गुजरती है। प्रेम आधार नर्सरी से मोहम्मदपुर माजरी सड़क तक (2.50 कि.मी.) की लम्बी सड़क का निर्माण–कार्य रोहिणी जोन द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। पश्चिमी यमुना नहर से प्रेम आधार नर्सरी तक (4.80 कि.मी.) भाग का निर्माण बीच की पट्टी से दोनों ओर तीन–तीन लेन की सड़क बनाकर किया गया है तथा उस भाग को छोड़ दिया गया है, जो अभी तक अधिग्रहित नहीं किया गया है। मोहम्मदपुर माजरी से राष्ट्रीय राजमार्ग–10 तक एक एलीवेटिड रोड प्रस्तावित है, जिसके लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है।

8.7 फ्लाईओवर एवं अन्य

8.7.1 लाजपत नगर में नाले को ढकना

बॉक्स ड्रेन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। विद्युतीकरण एवं उद्यान कार्य प्रगतिधीन हैं। अब पी.ए.सी. (शहरी विकास मंत्रालय) द्वारा संशोधित प्रारंभिक अनुमान दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को अनुमोदित किया जा चुका है और स्टोन क्लेडिंग कार्य के लिए पी.एम. (एफ.ओ.पी.) द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2014 को तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा पी.एम. (एफ.ओ.पी.) द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना तैयार की जा रही है।

8.7.2 डिफेंस कॉलोनी में नाले को ढकना

इस समय 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 65 मीटर लम्बे नाले को ढकने का कार्य रोक दिया गया है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा यथापूर्व स्थिति संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। भू–दृश्यांकन और विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

8.7.3 लाजपत नगर के निकट रेलवे क्रॉसिंग स्थित आर.यू.बी.

आर.यू.बी. की एक तरफ का उद्घाटन माननीय सांसद श्री अजय माकन द्वारा पहले ही दिनांक 16 फरवरी, 2014 को किया जा चुका है। तथापि लाजपत नगर की ओर जाने वाली दूसरी तरफ की रोड का निर्माण कार्य संरेखण में 4 दुकानों के आने के कारण रोक दिया गया है। अब संरेखण के रास्ते में आने वाली एक दुकान शेष है, जिसका पुनः स्थान निर्धारण दि.वि.प्रा. की व्यावसायिक संस्थापना शाखा के साथ मुकदमेबाजी के कारण रह गया है। सभी नई दुकानों का निर्माण पुनः स्थान निर्धारण के लिए दिए गए वैकल्पिक स्थल पर किया जा चुका है और दूसरा रास्ता भी सभी दुकानों के एक माह के अन्दर स्थानांतरण के बाद पूरा कर लिया जाएगा।

8.7.4 सरिता विहार फ्लाईओवर पर स्लिप रोड, पहुंच मार्ग, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक एवं अंडरपास सहित तीन अतिरिक्त क्लोवर लीव्ज् का निर्माण।

रेलवे का कार्य 97 प्रतिशत पूरा हो चुका है। दि.वि.प्रा. का कार्य 90

यमुना खेल परिसर में तरण ताल

प्रतिशत पूरा हो चुका है और शेष कार्य 31 अगस्त, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। अन्य छोटे–छोटे कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है।

8.7.5 अनेक स्थानों अर्थात् विकास मार्ग दिल्ली के सीडबैड पार्क, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार स्थित जिला केन्द्र स्थान पर मल्टीलेवल स्टेक पार्किंग का निर्माण।

यह प्रस्ताव शासी निकाय यूटीपैक द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को आयोजित इसकी 42 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान करने के लिए यह मामला अभियंता सदस्य/ वित्त सदस्य कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए मामला अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।

8.7.6 बिजवासन रोड से रा.रा.क्षे.दि. सरकार (द्वारका एक्सप्रेस–वे) की सीमा तक 80 मीटर मार्गाधिकार वाले एक्सप्रेस–वे का निर्माण

यूटीपैक की 46 वीं जनरल बोर्ड की मीटिंग में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की सीमा से बिजवासन रोड तक 80 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क के संरेखण को अनुमोदन प्रदान किया गया। परामर्श देने का कार्य डी. आई.एम.टी.एस. को सौंपा गया है। बिजवासन रोड से रा.रा.क्षे. दिल्ली की सीमा तक भूमि अभी अधिग्रहित की जानी है।

8.7.7 पंखा रोड स्थित दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और हाफ ट्रम्पेट के बीच सड़क की सतह पर बड़ा मरम्मत कार्य

यह कार्य दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को पूरा कर लिया गया।

8.8 दिल्ली में असुरक्षित आवासों की रिट्रोफिटिंग/पुनःनिर्माण

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूर्वी दिल्ली में असुरक्षित भवनों के रिट्रोफिटिंग कार्यों के लिए दि.वि.प्रा. में सितम्बर, 2012 में रिट्रोफिटिंग कक्ष का गठन किया गया। रिट्रोफिटिंग कार्यों के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में ललिता पार्क, फतेहपुर बेरी, कोंडली, गांधी नगर एवं लाल कुआं में तीन से चार आवासों का कार्य शुरू किया गया है। निम्नलिखित मामलों से संबंधित एजेंडा नोट दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किए गए।

क) अनधिकृत एवं पुनर्वास कॉलोनियों में निजी आवासों के रिट्रोफिटिंग/पुनर्निर्माण संबंधी कार्य संबंधित नगर निगम द्वारा रा.रा.क्षे.दि. सरकार के परामर्श से किया जाए।

ख) दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित समूह आवास ढांचों और अन्य ढांचों का कार्य दि.वि.प्रा. के संबंधित जोन शुरू करेंगे। इसकी लागत दि. वि.प्रा. द्वारा वहन की जाए।

ग) समूह आवास के रूप में पुनर्निर्माण के लिए बड़े प्लॉट बनाने हेतु छोटे प्लाटों की लैण्ड पूलिंग के योजना पैरामीटरों के बारे में निर्णय लेने के लिए दि.वि.प्रा. के योजना कक्ष द्वारा दिल्ली मुख्य योजना–2021 की समीक्षा करना।

माननीय उपराज्यपाल ने निर्णय लिया कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए और ज्यादा व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए। तद्नुसार, यह मामला रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजने के लिए पत्र संख्या सी. ई (प्रोज.) 5(6)13/डीडीए/254 दिनांक 19 फरवरी, 2014 द्वारा अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. द्वारा प्रधान सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे.दि. सरकार को भेजा गया। अब निदेशक, (कार्य) द्वारा ई.एम. 3(7)86/वॉल–v पार्ट/1285 दिनांक 3 अप्रैल, 2014 द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पी.एम. (रिट्रोफिटिंग) का पद समाप्त समझा जाएगा और संबंधित जोन के मुख्य अभियंता अपने जोन के अंतर्गत आने वाले रिट्रोफिटिंग कार्य की निगरानी करेंगे।

8.9 खेल परिसर/गोल्फ कोर्स

8.9.1 कुतुब गोल्फ कोर्स का पुनर्विकास

परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आर.एफ.पी. हेतु निविदा आमंत्रण सूचना एवं प्रेस नोटिस दिनांक 18 अप्रैल, 2014 को जारी किया गया।

8.9.2 कुतुब गोल्फ कोर्स स्थित क्लब भवन का निर्माण

36.16 करोड़ रु. की वित्तीय सहमति प्रदान की गई। माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निर्माण की मात्रा को उतना रखा जाए जितनी कि गोल्फ कोर्स के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता है। तद्नुसार, परामर्शदाता द्वारा संशोधित ड्राइंग/ संशोधित आरंभिक अनुमान (पी.ई.) प्रस्तुत किया गया, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

8.9.3 सैक्टर 24 द्वारका स्थित गोल्फ कोर्स

जांच समिति द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को गोल्फ कोर्स का ले–आउट 68.85 हैक्टेयर क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया। 11.99 हैक्टे. क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं है, जिसके लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाना था। 11.99 हैक्टेयर का भूमि उपयोग दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को परिवर्तित किया गया।

जांच समिति से संशोधित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता द्वारा अंतिम ले–आउट नक्शे को दिनांक 13 फरवरी, 2014 को भेजा गया। अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दिनांक 3 दिसम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में इस परियोजना को छः पैकेज में निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

व्यावसायिक परिसर, रोहिणी

पैकेज–1 बाउंड्री वॉल।

पैकेज–2 गोल्फ कोर्स के विकास हेतु मुख्य कार्य में मिट्टी संबंधी कार्य, नालियां, झील, जलाशय, कार पार्किंग, बोर होल्स आदि शामिल हैं।

पैकेज–3 सिंचाई एवं विद्युत कैबलिंग, वायरिंग एवं कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण।

पैकेज–4 क्लब हाउस।

पैकेज–5 बाहरी कैबलिंग, ट्रांसफॉर्मर्स सब–स्टेशन, जनरेटर, पम्प हाउस आदि।

पैकेज–6 यंत्रों का रखरखाव, मशीनरी टूल्स आदि के रखरखाव की माल–सूची।

परामर्शदाता द्वारा पैकेज 1, 2 एवं 3 के लिए प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया गया और वह जांच के अधीन हैं। तथापि, वरिष्ठ वास्तुकार ने बाउंड्री वॉल में कुछ स्फटिक पत्थर (क्वार्टजाइट स्टोन) के उपयोग के संबंध में कुछ टिप्पणी की है तथा कुछ अन्य टिप्पणियां भी की हैं। तद्नुसार बाउंड्री वॉल की ड्राइंग/डिजाइन वास्तुकला शाखा में संशोधन अधीन है।

वर्ष 2013–2014 के दौरान वित्तीय उपलब्धि से संबंधित रिपोर्ट अलग से भेजी जाएगी।

8.10 वृक्षारोपण एवं उद्यान कार्य

दि.वि.प्रा. के उद्यान विभाग ने वृक्ष एवं झाड़ियाँ लगाने के निम्नलिखित कार्यों को पूरा कर लिया है।

क्र.सं.	निदेशालय का नाम	दिनांक 31.3.2014 तक की उपलब्धियां			
		वृक्ष		झाड़ियां	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) दक्षिण पूर्व	7,37,791	1,10,66,850	2,70,045	2,02,53,375
2.	निदेशक (उद्यान) उत्तर–पश्चिम	73,066	1,09,59,900	2,51,739	1,88,80,475
	महायोग	1,46,845	220.27 लाख	5,21,784	391.33 लाख

लॉन्स का विकास

क्र.सं.	निदेशालय का नाम	दिनांक 31.3.2014 तक की उपलब्धियां	
		वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) दक्षिण पूर्व	186.50	279.75
2.	निदेशक (उद्यान) उत्तर–पश्चिम	85.37	12,805.5
	महायोग	**271.87** एकड़	**407.81** लाख

चिल्ड्रन कॉर्नर का विकास

क्र.सं.	निदेशालय का नाम	दिनांक 31.3.2014 तक की उपलब्धियां	
		वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) दक्षिण पूर्व	74	1,48,000
2.	निदेशक (उद्यान) उत्तर–पश्चिम	28	5,80,000
	महायोग	**103**	**7.28** लाख

इंद्रप्रस्थ पार्क

9. योजना एवं वास्तुकला

9.1 योजना विभाग

9.1.1 मुख्य योजना अनुभाग

क) मुख्य योजना अनुभाग द्वारा किए गए कार्यः

- दिल्ली विकास अधिनियम–1957 की धारा 11 'क' के तहत सार्वजनिक आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन के 20 मामलों पर कार्यवाही की गई।
- मुख्य योजना की समीक्षा के भाग के रूप में, दिल्ली विकास अधिनियम–1957 धारा 11 'क' के तहत जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए 17 सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई, जिनमें लगभग 150 संशोधन शामिल हैं।
- अवधि के दौरान तकनीकी समिति की दस बैठकें आयोजित की गई।
- इस अवधि के दौरान 419 आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए और संबंधित पक्ष को इसके उत्तर भेज दिए गए।
- प्रणाली विभाग के माध्यम से दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर गजट अधिसूचनाएं, सार्वजनिक सूचनाएं और तकनीकी समिति के कार्यवृत्त को अपलोड किया गया।
- योजना मामलों से संबंधित प्राधिकरण के संकल्पों की 8 की – गई – कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई।

ख) दि.मु.यो.– 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीति निर्धारणः

- दि.मु.यो. – 2021 में नए अध्याय के भाग के रूप में लैंड पूलिंग नीति।
- स्थायी आधार पर अस्थायी सिनेमाघरों को जारी रखने संबंधी नीति।
- मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु विनियमों में संशोधन।
- बैंक्वेट हॉल हेतु विनियमों में संशोधन।
- दिल्ली में फार्म हाउसों के लिए विनियमों में संशोधन।
- दिल्ली में निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्र की नीति।
- दिल्ली के विभिन्न भागों में निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्र की पहचान करना।

ग) नीति निर्धारण प्रक्रियाधीनः

- मौजूदा शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास, निम्न घनत्व क्षेत्र का पुनः घनत्वीकरण, एमआरटीएस और प्रमुख ट्रांसपोर्ट कोरिडोर के साथ प्रभाव क्षेत्र में आने वाले अन्य विकास क्षेत्रों का पुनर्विकास प्रक्रियाधीन है।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली के शहरीकरण योग्य क्षेत्र में गोदामों के नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारण।
- दिल्ली में भूमि नीति के कार्यान्वयन के लिए विनियम।

9.1.2. मुख्य योजना समीक्षा

- दि.मु.यो. – 2021 की मध्यावधि समीक्षा की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई और दिल्ली के उप–राज्यपाल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया जिसमें विभिन्न संस्थानों/विभागों के विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रबंधन कार्य समूह (एमएजी) द्वारा संस्तुत संशोधनों पर चर्चा करने के लिए सलाहकार समूह की तीन बैठकें आयोजित की गई।
- दि.वि.प्रा. और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों, और व्यावसायिक संस्थानों के अधिकारियों को शामिल करके एक प्रबंधन कार्य समूह का गठन किया गया। दि.मु.यो.–2021 की समीक्षा के लिए प्राप्त सुझावों पर एम.ए.जी. की चौदहवीं बैठक में चर्चा की गई।
- दि.मु.यो.–2021 की समीक्षा के भाग के रूप में प्राप्त सभी सुझावों को सुझावों की स्थिति के साथ आम जनता के लिए दि.वि. प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सलाहकार समूह एवं प्रबंधन कार्य समूह की बैठकों के कार्यवृत्त को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- समीक्षा के भाग के रूप में, परिवहन एवं पर्यावरण संबंधी अध्यायों को संशोधित किया जा रहा है। संबंधित प्रबंधन कार्य समूह में इन पर विस्तार से चर्चा की गई। ये निर्धारण के अगले स्तर पर हैं और एमएजी की सिफारिशों के आधार पर विचार हेतु सलाहकार समूह के समक्ष रखे जा रहे हैं।
- केन्द्र सरकार ने, दि.मु.यो.–2021 में संशोधनों के संबंध में, समय–समय पर राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं। दिनांक 31.03.2014 तक के संशोधनों को सन्दर्भ हेतु रिपोर्ट फार्म में संग्रहित किया गया है और संपादन संबंधित मामूली परिवर्तनों को सलाहकार समूह के समय रखा गया था।

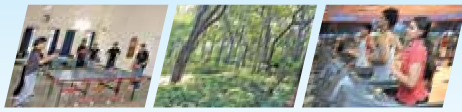

- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''दिल्ली मुख्य योजना–2021 की समीक्षा'' पर गठित एक विशेषज्ञ समिति की अन्तरिम रिपोर्ट एनआईयूए से प्राप्त हुई जिसमें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सुझावों को अग्रेषित किया गया था। व्यापक प्रेक्षणों को, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया गया।

- दिनांक 10 और 11 अप्रैल, 2013 को ''भूमि अर्थशास्त्र–मुद्दे और चुनौतियां'' विषय पर एक वर्कशॉप के आयोजन में सम्बद्धता, जिसका उद्‌घाटन माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था।

9.1.3 शहरी विस्तार एवं परियोजनाएं

9.1.3.1 रोहिणी परियोजना

i) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीमें:

- ग्यारह (11) मामलों अर्थात् :– दि.मु.यो.–2021, जोन 'एम' की क्षेत्रीय विकास योजना में बारह स्थल संशोधन के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया।

- दि.मु.यो.–2021, जोन 'एन' की क्षेत्रीय विकास योजना में आठ स्थलों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन को अधिसूचित किया गया।

- जोन–एम में सुल्तानपुरी स्थित 11.498 हैक्टेयर माप की भूमि के लिए ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएं'' में एफसी–58 के भूमि उपयोग परिवर्तन को अधिसूचित किया गया और अन्तिम अधिसूचना की प्रतीक्षा है।

- सैक्टर 40, रोहिणी फेज–V में 4000 वर्ग मी. (पॉकेट आर–17 और प्रस्तावित कब्रिस्तान के निकट) माप के स्थल के लिए 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध– सार्वजनिक सुविधाएं, श्मशान भूमि (श्मशान घाट), भूमि उपयोग परिवर्तन को अधिसूचित किया गया।

- एरिया–3, रोहिणी में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एमटीएनएल प्लॉट की उपयोगिता के संबंध में सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएं।

- भौतिक आधारिक संरचना जैसे: सीवेज पम्पिंग स्टेशन, कमांड टैंक, 220 के वी एवं 66 के वी इलैक्ट्रिक सब–स्टेशन, की प्रस्तावित अवस्थिति के संबंध में सैक्टर 32, 36 एवं 37 के लेआउट प्लान में संशोधन और सैक्टर–33, रोहिणी, फेज–IV, एवं V में खाली भूमि का उपयोग।

- पॉकेट आर–17, सैक्टर 40, रोहिणी फेज V में 4198.12 वर्ग मी. माप की भूमि के लिए ''आवासीय से सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएं'' (सीमेट्री) में भूमि उपयोग परिवर्तन को दिल्ली विकास अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही के लिए अनुमोदित किया गया।

ii) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमादित स्कीमें:

- मंगोलपुर कलां गांव , सैक्टर–II, रोहिणी स्थित यूजीआर और बीपीएस (बूस्टर पम्पिंग स्टेशन) के निर्माण के लिए दि.वि.प्रा. की खाली भूमि का उपयोग।

- नाहरपुर गांव रोहिणी के समीप ब्लॉक ई–1 से ई–5, सैक्टर VII का संशोधित ले–आउट प्लान।

- सैक्टर 34 एवं 35, रोहिणी, फेज–V के लिए संशोधित ले–आउट प्लान।

- पॉकेट एफसी–29, एफसी –30, सैक्टर 35 रोहिणी, फेज V में सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ले आउट प्लान।

- डीडीए रोहिणी ऑफिस के प्लॉट के सन्दर्भ में, एरिया न. 2 ए एवं 2 बी (मधुबन चौक) रोहिणी, फेज I एवं II में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधा के लेआउट प्लान में संशोधन।

- 66 के.वी. इलैक्ट्रिक सब–स्टेशन के प्रस्तावित पुनर्अवस्थापन के संबंध में सैक्टर–27, 28 एवं 30, रोहिणी फेज IV के ले–आउट प्लान में संशोधन ।

- मिनी सीवरेज शोधन संयंत्र के प्रस्ताव के संबंध में सैक्टर 34 और 35, रोहिणी फेज V का संशोधित ले आउट प्लान।

- सैक्टर–38, रोहिणी, फेज–V का संशोधित ले आऊट प्लान और रेजीडेंशियल पॉकेट–1, ब्लॉक–सी, सैक्टर–38, रोहिणी, फेज –V का प्रस्तावित ले आऊट प्लान।

- बी–2 एवं बी–3, (आवासीय पॉकेट) के बीच सीएस/ओजीएफ पॉकेट, सैक्टर–XVII, रोहिणी फेज–I एवं II का सब–डिवीजन प्लान।

- सुल्तानपुरी–जोन 'एम' में स्थित सुविधा केन्द्र सं. 58 के प्रस्तावित ले आऊट में संशोधन।

जनकपुरी जिला केन्द्र में व्यावसायिक परिसर

- सुअर बूचड़खाने के लिए रानी खेड़ा के पास रोहिणी फेज V में औद्योगिक क्षेत्र का आंशिक ले आऊट प्लान।
- सैक्टर–27 एवं 28 रोहिणी, फेज–IV के कम्पोजिट सैक्टर प्लान के ले आऊट प्लान में संशोधन।
- पॉकेट–एच–18 (आवास), सैक्टर 7, रोहिणी के आकार/क्षेत्र में परिवर्तन के लिए ले आऊट प्लान (संशोधित) में संशोधन।

iii) निजी भूमि पर 1962 से पहले भूमि उपयोगों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा सलाहकार/परामर्शदाता, एनपीआईआईसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। उक्त समिति में सदस्य सचिव के रूप में पद नामित हैं। उक्त समिति ने छः बार बैठकें की और अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया/प्रस्तुत की।

iv) जोन 'एन' के संबंध में लैंड पूलिंग नीति से संबंधित कार्य।

v) योजना विभाग, दि.वि.प्रा. की ओर से सम्पूर्ण दिल्ली के लिए शहरी विस्तार सड़कों के लिए समन्वित कार्य।

9.1.3.2 द्वारका परियोजना

i) संशोधनों/परिवर्तनों/भूमि उपयोग परिवर्तन/क्षेत्रीय विकास योजना/दिल्ली मुख्य योजना–2021 पर कार्यवाही।

- बापरोला गांव स्थित डीएसआईआईडीसी द्वारा ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क के विकास से संबंधित, जोन के–1 की क्षेत्रीय विकास योजना में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए एमओयूडी द्वारा अन्तिम अधिसूचना पर कार्यवाही की गई।
- सैक्टर–24, द्वारका में स्थित गोल्फ कोर्स के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन/पुनर्समायोजन/स्वैपिंग के लिए एमओयूडी द्वारा अन्तिम अधिसूचना पर कार्यवाही की गई।
- दिल्ली विकास अधिनियम की धारा '11–क' के तहत आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए भागिनी निवेदिता कॉलेज (रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार), कैर, नजफगढ़ के लिए जोन एल में भूमि उपयोग परिवर्तन पर कार्यवाही।
- प्राधिकरण के विचार हेतु प्रस्तुत, इस्कॉन मन्दिर, सामाजिक–सांस्कृतिक केन्द्र, सैक्टर–13 द्वारका के मामले में विकास नियन्त्रण मानदण्ड में संशोधन की कार्यवाही।
- होटल, सैक्टर–21, द्वारका का भूमि उपयोग परिवर्तन जांच एवं सुनवाई बोर्ड के पश्चात् प्रक्रियाधीन है।
- तकनीकी समिति और प्राधिकरण के विचारार्थ जोन के–1 एवं एल में मौजूदा अस्थायी सिनेमाघरों के मामले में दिल्ली विकास अधिनियम की धारा, 11–'क' के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन पर कार्यवाही।

ii) परिवहन

- संबंधित सरकारी विभागों के समन्वय से हरियाणा (गुड़गांव) एवं रा.रा.क्षे. दिल्ली के मध्य 80 मीटर चौड़ी सड़क (द्वारका एक्सप्रेसवे) का संरेखण।
- जोन 'के'–I, 'के'–II एवं 'एल' की क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अनुसार शहरी विस्तार सड़कों, यूईआर–1 (80 मीटर मार्गाधिकार), यूईआर–2 (100 मीटर मार्गाधिकार), यूईआर–3 (80 मीटर मार्गाधिकार) के लिए संरेखण पर कार्यवाही की गई।
- दिल्ली के अन्य भागों के साथ द्वारका की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कार्य किया गया और विभिन्न मंचो पर इसकी चर्चा की गई। परामर्शदाताओं की नियुक्ति का कार्य यूटीटीआईपीईसी एवं द्वारका परियोजना कार्यालय में प्रक्रिया में है।

iii) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित ले आऊट/सब डिवीजन योजनाएं/संशोधन

- सामुदायिक हॉल के लिए डाबरी क्रॉसिंग के निकट सिंडीकेट एंक्लेव स्थित दि.वि.प्रा. के खाली प्लॉट की उपयोगिता हेतु लेआऊट।
- पृथक पॉकेट–11 एवं 12, सागरपुर, द्वारका (जोन 'के'–II) की खाली भूमि की उपयोगिता के संबंध में।
- कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु सैक्टर–14, द्वारका में एनडीएमसी को आबंटित प्लॉट के स्थान पर नई दिल्ली नगर निगम को वैकल्पिक भूमि का आबंटन।
- सैक्टर 18 ए (पार्ट), द्वारका में 8000.40 वर्ग मी. क्षेत्र के हॉस्पीटल प्लॉट के लेआऊट प्लान में संशोधन / नामावली में परिवर्तन।
- सैक्टर 24 (द्वारका) में अवस्थिति 'क' में निर्माण एवं निर्माण ढहाने के पश्चात् मलबे के लिए प्लॉट और सैक्टर 29 (द्वारका) में अवस्थिति 'ख' में किचन वेस्ट निपटान के लिए प्लॉट के लिए सुझाई गई अवस्थितियां।
- पॉकेट –1, 2, 3 एवं 4 द्वारका (जोन के–II) के निकट नसीरपुर ग्राम सभा भूमि पर खसरा नं. 224 वाली पुनर्प्राप्त भूमि की

चित्रगुप्त पार्क, रोहिणी

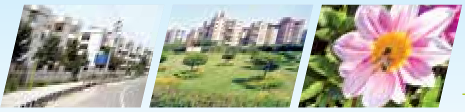

उपयोगिता योजना पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा की गई।

- 66 के.वी.ई.एस.एस के लिए सैक्टर–1, द्वारका में एमआरटीएस परियोजना फेज–III के लिए डीएमआरसी को भूमि चिन्हित करने के लिए लेआऊट प्लान के आंशिक संशोधन का अनुसमर्थन।
- पॉकेट सं. 4 एवं 6, सैक्टर 26, द्वारका, फेज–II में 270 आवासीय प्लॉटों (वैकल्पिक प्लाटों) को काटना (कार्विंग आऊट)।

iv) शुरू किए गए अन्य प्रमुख योजना कार्य :

- सैक्टर–27, 28 एवं 29, द्वारका में दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहित भूमि की विस्तृत योजना।
- क्षेत्रीय विकास योजना एवं लैंड पूलिंग नीति के अनुसार जोन 'के'–I 'के'–II एवं 'एल' की विस्तृत योजना।
- जोन 'के'–I,'के'–II एवं 'एल' की क्षेत्रीय विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार एमसीडी द्वारा तैयार एमसीडी वार्डों की स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की जांच करना।
- जीएसडीएल/जीआईएस बेस मैप के आधार पर जोन 'के'–I एवं 'एल' की क्षेत्रीय विकास योजनाओं को पुनः तैयार करना।
- दि.मु.यो.–2021 की समीक्षा के संबंध में ओपन हाऊस के माध्यम से प्राप्त आपत्तियां/सुझावों को अपलोड करने का समन्वय।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ड्रेनेज के लिए मुख्य योजना को तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करना।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का समन्वय।
- दि.न.नि./रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा यथा प्रस्तावित जोन 'के'–I, 'के'–II एवं 'एल' में सैनेटरी लैंडफिल स्थलों की पहचान करने में समन्वय।
- बीएसईएस द्वारा यथा प्रस्तावित जोन 'के'–I, 'के'–II एवं 'एल' में ईएसएस सब स्टेशन स्थलों (400/220/66/33 केवी) के लिए भूमि की पहचान करने में समन्वय।
- जोन 'के'–I, 'के'–II एवं 'एल' में पूर्व–विद्यमान सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित), स्वास्थ्य रक्षा और शैक्षणिक संस्थानों (स्पॉट जोनिंग) के नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा।
- माननीय उप–राज्यपाल, एमपी/एमएलए, वीआईपी, एमओयूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. आदि द्वारा अग्रेषित सन्दर्भों /अभ्यावेदनों की जांच।
- जोन 'के'–I, 'के'–II एवं 'एल' के संबंध में कानूनी मामलों/संदर्भों की जांच।

स्वर्ण जंयती पार्क, रोहिणी

- आरटीआई और न्यायालय मामलों के तहत सूचना प्रदान करना।

9.2 एकीकृत यातायात और परिवहन आधारिक संरचना योजना एवं अभियान्त्रिकी केन्द्र (यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी.)

क) वर्ष के दौरान यूटीटीआईपीईसी के कार्य समूह/शासी निकाय के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों, नगर स्तर परियोजनाओं, क्षेत्र–विशेष परियोजनाओं पर कार्यवाही की गई।

i) यूटीटीआईपीईसी द्वारा शुरू किए गए कार्य:

- आगे की लेखा परीक्षा के लिए अनुमोदित स्ट्रीट क्वालिटी ऑडिट चेकलिस्ट।
- स्ट्रीट डिजाइन दिशानिर्देशों के लिए, पीडब्ल्यूडी के साथ 2 कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप पूर्ण।
- 25 टीओडी वर्कशॉप पूर्ण।
- विकास मार्ग पर सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित 9 पार्किंग स्थल ।
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए पीडब्ल्यूडी को 9 विचारार्थ विषय जारी किए गए।
- स्ट्रीट क्वालिटी ऑडिट चेकलिस्ट पूर्ण।
- दि.मु.यो. –2021 समीक्षा के परिवहन अध्याय के भाग के रूप में टीओडी नीति मसौदा और अध्याय प्रक्रिया में है।
- दि.मु.यो. –2021 की समीक्षा के भाग के रूप में परिवहन अध्याय के मसौदे को अन्तिम रूप देना।
- टीओडी परियोजना (कड़कड़डूमा) सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित।

ii) अनुमोदन हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाएं/प्रस्ताव (सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित अथवा सहमति)

- कार्य समूह/शासी निकाय द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित पूर्वी किदवई नगर पुनर्विकास परियोजना (एनबीसीसी) और शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विचार–विमर्श का प्रेषण।
- बाहरी रिंग रोड/आरटीआर (पीडब्ल्यूडी) व्यापक योजना सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित और विस्तृत योजना प्रगति पर है।
- पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत एस.पी मुखर्जी मार्ग और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का एकीकृत प्रस्ताव शासी निकाय द्वारा अनुमोदित।
- शासी निकाय द्वारा बारापुला नाला फेज III पर मोडिफाइड कोरिडोर विकास योजना अनुमोदित।
- पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत मण्डी रोड को चौड़ा करने और उसको अद्यतन करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति।
- पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत अरबिन्दो मार्ग का सड़क विकास प्रस्ताव (एम्स से आईआईटी इन्टरसैक्शन तक यातायात सुधार और पैदल चलने वालो की सुरक्षा में सुधार) सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।
- डीएमआरसी/पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत मौजूदा जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन से प्रस्तावित बादली मेट्रो स्टेशन बाहरी रिंग रोड का मोडिफाईड क्रॉस सैक्शन तक एमआरटीएस कोरिडोर का विस्तार, अनुमोदित।
- दि.वि.प्रा. द्वारा प्रस्तुत यूईआर–II पर आरओबी का निर्माण, सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।
- पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत सराय काले खां से मयूर विहार (फेज–III) चरण–1 तक यमुना नदी पर बारापुला एलीवेटिड रोड के विस्तार के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और जियोमैट्रिक डिजाइन, अनुमोदित।
- दि.मु.यो.–2021 के मसौदा अध्याय में एनसीआरपीबी के विभिन्न सुझावों के समावेशन पर कार्यवाही की।
- मालवीय नगर में 'आपकी सड़क' अनुमोदित।

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा में टेबल टेनिस खेलते हुए

- कालिंदी बाईपास सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।
- रोड न. 30, पश्चिम विहार सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।
- शालीमार बाईपास, रिंग रोड से फुट ऑफ सिग्नेचर ब्रिज तक सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।
- मथुरा रोड की सड़क विकास योजना सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।

ख) निम्ननिलिखित दिशानिर्देश, नगर स्तर परियोजनाएं, क्षेत्र–विशेष परियोजनाएं यूटीटीआईपीईसी द्वारा निर्माणाधीन/संवीक्षाधीन थी।

i) यूटीटीआईपीईसी द्वारा शुरू किए गए कार्य

- कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के नजदीक टीओडी पायलट परियोजना की डिटेलिंग।
- लिंक रोड कनैक्टिविटी एनएच–8 द्वारका यूईआर–II पर ग्रिड्स/आरयूबी के तहत सड़क का विस्तार।
- स्ट्रीट और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए कार्रवाई योजना ।
- वर्कशॉप –पॉलिसी डिजाइन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग।
- आई.टी.ओ. कॉम्पलैक्स योजना एकीकरण एवं कार्यान्वयन।
- मेट्रो स्टेशन (फेज–III) के प्रभाव क्षेत्र के भीतर और आस–पास मल्टीमोडल एकीकरण सहित कनेक्टिविटी में सुधार करना– 68 एमएमआई योजना परामर्शदाता नियुक्त।
- ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलेपमेंट (टी.ओ.डी.) फेज–I, पायलट प्रोजेक्ट्स–रोहतक रोड–नांगलोई से टीकरी कलां मेट्रो स्टेशन, के लिए संकल्पनात्मक शहरी डिजाइन फेमवर्क योजना–प्रक्रियाधीन।
- ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.) फेज–I, पायलट प्रोजेक्ट्स–एमजी रोड छत्तरपुर से अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के लिए संकल्पनात्मक शहरी डिजाइन फ्रेमवर्क प्लान–प्रक्रियाधीन।
- नेहरू प्लेस सुधार प्रस्ताव–प्रक्रियाधीन।
- जी.बी.एम. द्वारा द्वारका बाइसाईकिल शेयरिंग स्कीम पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति और द्वारका परियोजना इंजीनियरिंग कार्यालय द्वारा कार्य पहले से ही शुरू किया गया।

i) अनुमोदन हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाएं/प्रस्ताव

- महरौली महिपालपुर रोड फेज–I की संकल्पनात्मक योजना पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले–प्रक्रियाधीन।
- दर्शन मुंजाल मार्ग की सड़क विकास योजना–प्रक्रियाधीन।

- द्वारका और गुड़गांव को जोड़ने वाला 80 मीटर बिजवासन लिंक रोड सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित।
- मोतीबाग चौराहे पर प्रस्तावित अन्डरपास–प्रक्रियाधीन।
- वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सैंटर की सर्कुलेशन योजना और पार्किंग प्रस्ताव–प्रक्रियाधीन।
- मंगल पाण्डे मार्ग की सड़क विकास योजना –प्रक्रियाधीन।
- कमला नगर गोल चक्कर को जोड़ने वाली सड़क का विस्तृत स्ट्रीट डिज़ाइन।

9.3 जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

जिओ स्पैटियल दिल्ली लिमिडिट (जी.एस.डी.एल.) की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना की रि–ड्रॉफ्टिंग के कार्य के संबंध में जीआईएस यूनिट द्वारा जीआईएस डाटा बेस तैयार कर लिया गया है और शहरी विस्तार ज़ोनों (योजना ज़ोन 'के' एवं 'एल'(द्वारका परियोजना), योजना ज़ोन 'एन' (रोहिणी परियोजना) ज़ोन पी–I एवं पी–II (नरेला परियोजना) और योजना ज़ोन 'जे' के लिए संबंधित यूनिटों द्वारा जांच कार्य कर लिया गया है।

9.4 वास्तुकला विभाग (एचयूपीडब्ल्यू)

वास्तुकला विभाग संकल्पनात्मक वास्तुकला डिज़ाइन और वास्तुकला संकल्पना की कार्यशील ड्राइंग तैयार करने के लिए परियोजना स्कीम की संरचनात्मक भूमि उपयोग योजना का प्रयोग करता है। इस विभाग के अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार हैं, जो अभियन्ता सदस्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तीन अपर मुख्य वास्तुकार छः वरिष्ठ वास्तुकारों के साथ मिलकर मुख्य वास्तुकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो विरासत, खेलकूद एवं विशेष परियोजनाओं सहित वास्तुकला के क्षेत्र में 6 ज़ोनो के कार्य की निगरानी करते हैं। वास्तुकला विभाग के मुख्य कार्य क्षेत्र निम्नानुसार हैः–

1. शहरी डिज़ाइन/वास्तुकलात्मक स्कीमों (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार सभी श्रेणियों के आवास, श्रृंखलाबद्ध, गैर श्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र) को विकसित करना और उनके विकास नियंत्रण मानदण्डों को तैयार करना।
2. विरासत और संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करना और तैयार करना।
3. खेलकूद सम्बन्धित परियोजनाएं (डिज़ाइनिंग और अन्य खेलकूद से सम्बन्धित परियोजानाएं)।
4. सामाजिक आधारिक–संरचना परियोजनाएं (सामुदायिक सुविधाएं, उन्नयन (अपग्रेडेशन) योजनाएं आदि)।
5. योजना, वास्तुकला और भू–दृश्यांकन विभाग की सभी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जांच–समिति की बैठकों का आयोजन एवं समन्वय करना।
6. निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त करनाः

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा से नेताजी सुभाष प्लेस का दृश्य

- शहरी डिज़ाइन/वास्तुकला स्कीमों के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से।
- सभी विरासत/संरक्षण सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए दिल्ली शहरी विरासत प्रतिष्ठान (डीयूएचएफ) से।
- अन्य प्राधिकरणों जैसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विमानपत्तन प्राधिकरण, पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि से।

9.4.1 निर्माणाधीन परियोजनाएं

(क) आवासीय

ए–14, कालकाजी में स्व स्थानिक पुनर्वास परियोजना।

जहांगीर पुरी में ई. डब्ल्यू.एस. आवास।

डी–6, वसंत कुंज में बहुमंजिला आवास।

सुल्तान गढ़ी में बहुमंजिला आवास।

सैक्टर 18–बी, द्वारका में बहुमंजिला आवास।

पॉकेट–1, सैक्टर–ए 9, नरेला, 483 आवासीय इकाइयाँ, बहुमंजिला आवास।

सिरसपुर नरेला (4740 आवासीय इकाइयां) में ई.डब्ल्यू. एस. आवास। सैक्टर–4, एक्सटैंशन रोहिणी (1024 आवासीय इकाइयां) में ई.डब्ल्यू.एस. आवास।

रोहिणी एवं नरेला–ए (18600 आवासीय इकाइयां) में ई.डब्ल्यू. एस आवास, प्रीफेब प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए टर्नकी परियोजना।

रोहिणी एवं नरेला में एल.आई.जी. (24600 आवासीय इकाइयां) और ई.डब्ल्यू.एस. (4855 आवासीय इकाइयां), प्रीफेब प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए टर्नकी परियोजना।

(ख) सामुदायिक हॉल

पालम गांव में सामुदायिक हॉल।

बीजी–6, पश्चिम विहार में सामुदायिक हॉल।

सैक्टर–3 और 9, द्वारका में सामुदायिक हॉल।

सीतापुरी, द्वारका में सामुदायिक हॉल।

धुली सिरस में सामुदायिक हॉल।

मिर्ज़ापुर में सामुदायिक हॉल।

सी.एस.सी. / ओ.सी.एफ.–4, सैक्टर–1, रोहिणी में सामुदायिक हॉल।

सी.एस.सी. / ओ.सी.एफ. –4, सैक्टर –6, रोहिणी में सामुदायिक हॉल।

सैक्टर–5, रोहिणी में रोहिणी सामुदायिक हॉल।

सी.एस.सी. / ओ.सी.एफ. –6, ब्लॉक –जी, सैक्टर –11, रोहिणी में सामुदायिक हॉल।

तेहखण्ड में सामुदायिक हॉल।

महीपालपुर में सामुदायिक हॉल।

किशनगढ़ में सामुदायिक हॉल।

सैनिक विहार में सामुदायिक हॉल।

सुख विहार में सामुदायिक हॉल।

चिल्ला गांव में सामुदायिक हॉल।

जहांगीर पुरी में सामुदायिक हॉल।

(ग) व्यावसायिक परियोजना

राजेन्द्र प्लेस में मल्टी लेवल पार्किंग।

सैक्टर–17, द्वारका में समाज सदन।

अलकनंदा में समाज सदन का विकास।

(घ) विविध परियोजनाएं

मयूर विहार में विकास सदन स्टाफ क्लब का पुनर्नवीनीकरण।

9.4.2 वास्तुकलात्मक डिज़ाइन (अनुमोदित और अन्तिम रूप)

(क) आवास

सैक्टर–19, रोहिणी में बहुमंजिला आवास, 2 बी.एच.के. (321 आवासीय इकाइयां) और ई.डब्ल्यू.एस.(131आवसीय इकाइयां)।

सैक्टर–26, रोहिणी में बहुमंजिला आवास, 2 बी.एच.के. (326 आवासीय इकाइयां) और ई.डब्ल्यू.एस. (130 आवासीय इकाइयां)।

पॉकेट ए1–ए4, नरेला में बहुमंजिला आवास, श्रेणी 2 (1047 आवासीय इकाइयां) और ई.डब्ल्यू.एस (6385 आवासीय इकाइयां)।

पुष्पांजलि में सी.एस.पी. आवास, कोहाट एन्क्लेव में सीएसपी आवास, सैनिक विहार में सी.एस.पी. आवास, सरस्वती विहार में सीएसपी आवास।

(ख) सामुदायिक हॉल

सैक्टर–4 एक्सटेंशन, रोहिणी में सामुदायिक हॉल।

सैक्टर बी–4, पॉकेट–13, नरेला में सामुदायिक हॉल।

ब्लॉक जी, सैक्टर–16, फेज–2, रोहिणी में सामुदायिक हॉल।

ब्लॉक ई, सैक्टर–16, फेज–2, रोहिणी में सामुदायिक हॉल।

बिन्दापुर में सामुदायिक कक्ष।

ब्लॉक जे, विकास पुरी में सामुदायिक हॉल।

ब्लॉक एच, विकास पुरी में सामुदायिक हॉल।

साध नगर में सामुदायिक हॉल।

सैक्टर–7, द्वारका में सामुदायिक हॉल।

सैक्टर–13, द्वारका में सामुदायिक हॉल।

(ग) विविध परियोजनाएं

सैक्टर–11, द्वारका में सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र।

सैक्टर–19, द्वारका में फुटबाल स्टेडियम।

सैक्टर–24, रोहिणी में कल्याण मंडप।

व्यावसायिक परिसर, नेहरू प्लेस

9.4.3 योजना और अनुमोदन स्तर पर परियोजनाएं

(क) आवास

पॉकेट–ई, बक्करवाला में (600 आवासीय इकाइयां) 2 बी.एच.के. और ई.डब्ल्यू.एस.।

सैक्टर–19–बी, द्वारका में बहुमंजिला समूह आवास (3 बी.एच.के.)।

सैक्टर–16–बी, द्वारका–5 में बहुमंजिला समूह आवास (2 बी.एच.के.)।

पॉकेट–5 में बहुमंजिला समूह आवास (3 बी.एच.के., 2 बी.एच.के., ई.डब्ल्यू.एस)।

9.4.4 बाधा रहित वातावरण का निर्माण

विक्लांग व्यक्ति देश के मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं तथा दि.वि.प्रा. ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत हैं जिसमें इन विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो तथा वे समाज में अपना पूरा योगदान दे सकें।

इसके लिए अनके दिशा–निर्देश उपलब्ध है, जिनकी समीक्षा भी की जाती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए जो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे सुविधाएं स्थल योजना, पहुंच मार्ग/वॉक–वे, पार्किंग एवं भवन–आवश्यकता के संबंध में सभी भवनों, मनोरंजनात्मक स्थलों और जनता द्वारा उपयोग की जा रही सुविधाओं में उपलब्ध कराई गई हैं।

दि.वि.प्रा. द्वारा इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:

क) दि.वि.प्रा. द्वारा जारी दि.मु.यो. –2021 में विकलांग तथा वृद्ध व्यक्तियों के संचलन के लिए योजना तथा डिज़ाइन पर पूरा ध्यान दिया गया है।

ख) पॉकेट–4 एन जी–8 नरेला जैसी नई आवासीय पॉकेटों, जो टर्न–की परियोजना है, में एजेंसी एक वचनबंध देगी कि वे इन आवासीय इकाइयों की 5 प्रतिशत संख्या विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित करेगी।

ग) आवासीय परिसर के साथ–साथ व्यावसायिक परिसर तथा समाज सदनों इत्यादि जैसी अन्य सामुदायिक सुविधाओं तक ले–आउट स्तर तथा निर्माण स्तर पर सभी की पहुंच के लिए रैम्प, लिफ्ट, हैंडरेल इत्यादि को डिज़ाइन किया गया है।

घ) व्यावासायिक एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अनुरूप शौचालयों को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

ड.) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भवनों में रैम्प के समीप पर्याप्त पार्किंग स्थानों को विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

9.5 भू–दृश्य एवं पर्यावरण योजना इकाई

दिल्ली 1,497 कि.मी. क्षेत्र में फैली देश के सबसे हरे–भरे महानगरों में से एक है। अपने खुले क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव के साथ–साथ हाल के दिनों में शहर ने अत्याधिक विकास का अनुभव किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भारत में पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, जिसने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले लगभग 3800 छोटे और बड़े पार्कों के साथ क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टी और समीपवर्ती हरियाली इत्यादि के रूप में खुले क्षेत्रों के विकास के प्रति सचेत प्रयासों सहित हरे–भरे स्थानों के समग्र विकास एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दि.वि.प्रा. ने हरित क्षेत्रों जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं, के उन्नयन एवं रखरखाव के कार्य को वचन बद्धता के साथ किया और जैव–वैविध्य पार्कों का निर्माण एवं विकास नदी मुहाना विकास परियोजना, डलाव क्षेत्रों की पुनःप्राप्ति, जलाशयों के नवीकरण एवं झीलों के पुनरुद्धार का प्रयास किया।

दि.वि.प्रा. ने प्राकृतिक विशेषताओं जैसे नदी एवं रिज के संरक्षण को बढ़ावा दिया है और हरित पट्टियों, थीम पार्कों, वन भूमियों, स्मारकों के चारों ओर हरित क्षेत्रों, जैव वैविध्य पार्कों आदि को विकसित किया है। इन्हें दि.वि.प्रा. की भूदृश्यांकन इकाई द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है।

अरावली जैव वैविध्य पार्क

- मुख्य योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से संबंधित डिज़ाइन एवं नीति निर्धारण।
- दि.वि.प्रा. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निकटस्थ पार्कों, खेल के मैदानों और चिल्ड्रन पार्कों के साथ सभी जिला पार्कों को डिज़ाइन करना।
- विशिष्ट परियोजनाओं जैसे जैव वैविध्य पार्कों, नदी मुहाना विकास, डलाव क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति, इंद्रप्रस्थ पार्क, आस्था कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाओं का कार्य भी भूदृश्यांकन इकाई ने अपने हाथों में लिया है। जल संग्रह,

चिल्ला खेल परिसर, वसुंधरा एनक्लेव

एवम् बरसाती जल का संरक्षण, ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स की रिचार्जिंग की अवधारणा भी विभिन्न हरित क्षेत्रों की योजना का महत्वपूर्ण भाग है।

हरित क्षेत्रों के डिज़ाइन एवं उन्नयन की प्रक्रिया में, अशक्त लोगों के लिए विशेष डिज़ाइन को सम्मिलित करने के प्रयास किए गए हैं। दि.वि.प्रा. ने इस पर विचार किया और अपने भूदृश्यांकन डिज़ाइन में इन मुख्य विशेषताओं को जोड़ने में सफलता हासिल कर ली है। इन डिज़ाइन विशेषताओं को प्रवेश द्वारों, बाल क्रीड़ा स्थलों, बैठने के स्थानों और पगडंडियों में शुरू किया गया है। उदाहरण के लिए, मिलेनियम पार्क के प्रवेश द्वार में, विशेष आवश्यकताओं के साथ सभी लोगों के सुगम प्रवेश के लिए रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

द्वारका में सेन्सरी पार्क, अपनी तरह का एक अद्वितीय उदाहरण है। पार्क अशक्त बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिससे कि वे अन्य बच्चों के साथ खेल सकें। डिज़ाइन में विभिन्न तत्वों जैसे भूल भूलैया, बटर फ्लाई पार्क, होर्टिकल्चर थेरेपी एरिया, हर्बल गार्डन, स्पलैश पूल, छोटा बगीचा, विशिष्ट क्रीड़ा उपकरण (अशक्त बच्चों के लिए), कार्यकलापों के मध्य में फ्रेगरैन्ट जोन, व्हील चेयर के लिए रैम्प, बच्चों के लिए अनुकूल डिज़ाइन के साथ रैलिंग, सैन्ड प्ले आदि का समावेश किया गया है। इस प्रकार बच्चों के जीवन की कोटि एवं स्वास्थ्य को सुधारने और सामाजिक योग्यताओं और नैतिक कौशल को विकसित करने के लिए अवसरों को बनाने के प्रयास किए गए हैं।

विशिष्ट आवश्यकताओं के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई नीति के अनुसार दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों को अपग्रेड किया जाना है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की सुविधा के लिए रैम्प, स्थान के कुशलतापूर्वक प्रयोग आदि से युक्त शौचालय बनाए गए हैं।

दिसम्बर, 2013 से मार्च 2014 के दौरान भू–दृश्य इकाई द्वारा की गई परियोजनाएं।

- यमुना जैव–वैविध्य पार्क, फेज़–II
- अरावली जैव वैविध्य पार्क
- यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना–जोन–'ओ'

(सार्वजनिक मनोरंजन और जैव वैविध्य जोन का एकीकृत विकास)

(क) गोल्डन जुबली पार्क उपजोन IV।

(ख) कुदसिया घाट, उपज़ोन II के लिए भू–दृश्य प्रस्ताव।

(ग) एनएच–24 से डी.एन.डी. फ्लाई–वे, उपज़ोन 7 (नदी मुहाना) का भूदृश्यांकन।

- तिलपथ घाटी।
- संजय वन के लिए भू–दृश्य संरक्षण योजना।
- अशोका गार्डन, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी का उन्नयन।
- मॉडल पार्क के रूप में सूरजमल पार्क का उन्नयन।
- स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी का उन्नयन।
- पुलपहलादपुर में हरित क्षेत्र का विकास।
- मां आनंदमई में धोबी घाट क्षेत्र के संगीतमय फव्वारे और उसके आस–पास के हरित क्षेत्र का उन्नयन।
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण केन्द्र, बी–11 वसन्त कुंज के पास हरित क्षेत्र का विकास।
- जंगपुरा (ब्लॉक बी) में हरित क्षेत्र का विकास।
- अरावली जैव–वैविध्य पार्क में प्लाज़ा के विवरण की तैयारी।

- बुधविहार, सैक्टर–24 में छठ घाट का विकास।
- अशोक विहार में मॉडल पार्क के रूप में अशोका गार्डन का विकास।
- सीमापुरी और मौसम विहार, सड़क संख्या 70 में हरित पट्टी का विकास।
- पूर्वी विनोद नगर और पश्चिमी विनोद नगर में हरित क्षेत्रों का विकास।
- के.एल.राठी की प्रदूषित औद्योगिक इकाई द्वारा छोड़ी गई खाली भूमि का भूदृश्यांकन विकास।
- प्रेमबाड़ी पुल के नज़दीक वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में हरित क्षेत्र का भूदृश्यांकन विकास।
- भलस्वा लेक को 'एक पूर्णतः पारिवारिक मनोरंजन स्थान' के रूप में विकसित किया जाना।
- समाज सदन सैक्टर 18 ए, द्वारका के सामने एन.एच.पी।
- आवास पॉकेट–11 ए एवं 11 बी, सैक्टर 23, रोहिणी के पीछे हरित क्षेत्र का विकास, वर्किंग ड्रांइग तैयार की गई है।
- राज राजेश्वरी देवी मंदिर के नज़दीक, सी–1, सी–1ए, ब्लॉक, जनकपुरी में हरित क्षेत्र का उन्नयन।
- एम.एस. ब्लॉक, हरि नगर–कन्हैया पार्क में हरित क्षेत्र।
- सीमापुरी और दिलशाद गार्डन में विविध दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों में सी.एन.जी स्टेशनों के लिए भूमि उपलब्ध करना।
- (विविध दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों में अस्थाई और स्थाई आधार पर) डी.एम.आर.सी. को भूमि उपलब्ध कराना।
- वेबसाइट पर पार्कों की सूची।
- नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार हरित क्षेत्रों में टॉयलेट, आश्रय, पीने के पानी आदि की सुविधाओं का प्रावधान।
- नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार खेल के मैदानों में चारदीवारी, टॉयलेट, आश्रय जैसी सुविधाओं का प्रावधान।
- दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार पार्कों में प्रकाश व्यवस्था।
- सभी पार्कों में नीति के रूप में सार्वजनिक सुविधाओं और उद्यान घटकों का समावेश किया जाना।

9.5.1 अन्य कार्यकलाप

अपर आयुक्त (भू–दृश्यांकन), जैव–वैविध्य फाउंडेशन, कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव हैं। वे मुख्य योजना समीक्षा समिति के पर्यावरणीय ग्रुप के सदस्य हैं और दि.वि.प्रा. कैलेण्डर समिति के सदस्य भी हैं। निदेशक (भू–दृश्यांकन) पार्क योजना के अभिग्रहण के सदस्य सचिव हैं। दि.वि.प्रा. द्वारा भू–दृश्यांकन इकाई की सूचनाएं देते हुए, दिल्ली जैव–वैविध्य फाउंडेशन पर आधारित एक संवाद पत्र का त्रैमासिक प्रकाशन होता है। निदेशक उसकी सम्पादकीय टीम में हैं।

9.6 सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) एवं समन्वयन

वर्ष 2005 से अप्रैल 2014 तक, 367 आर.टी.आई आवेदन लिए गए और उनका निपटान किया गया।

10. आवास

10.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1967–68 से आवास निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया। प्राधिकरण समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए योजनाओं की घोषणा करता है। प्रथम पंजीकरण योजना 1969 में प्रारम्भ की गई थी। इसके बाद, अब तक 43 योजनाओं को शुरू किया गया। अब तक प्रारम्भ की गई कुल 44 योजनाओं में से अब केवल एक योजना ही चल रही है। दि.वि.प्रा. ने अनेक योजनाओं के तहत दिनांक 31.03.2012 तक 3,94,738 आबंटन (जिनमें वापसी/रद्दकरण के बाद आबंटित आवास भी शामिल हैं) किए हैं।

10.2 दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2010

दि.वि.प्रा. आवासीय योजना 2010 के तहत आबंटित कब्जा पत्रों को जारी करने का मुख्य कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लगभग 16,000 फ्लैटों में से 14,500 (लगभग) फ्लैटों के कब्जा पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन फ्लैटों के संदर्भ में हस्तान्तरण विलेखों के निष्पादन का कार्य लगभग समाप्ति पर है एवं मार्च, 2014 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त वसन्त कुंज (476) के गंगा टॉवर फ्लैट के संदर्भ में नवम्बर, 2013 तक मांग पत्र जारी किया जा चुका है एवं मार्च, 2014 तक द्वारका सैक्टर–18 बी (217) के जारी किए जाने की संभावना है। तत्पश्चात् इस योजना का औपचारिक समापन किया जा सकेगा।

आगे सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा सूची के आवेदकों का ड्रॉ निकाला जा चुका है एवं सफल आवेदकों को सूचना पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। अनिवार्य रूप से मांगी गई बयाना राशि जो (जनता) फ्लैटों के अतिरिक्त एवं जनता फ्लैटों के लिए क्रमशः एक लाख पचास हजार रुपए एवं पचास हजार रुपए हैं, की प्राप्ति के बाद मांग एवं आंबटन पत्रों को जारी किए जाने की संभावना है। मार्च, 2014 तक इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना है।

10.3 फ्लैट का परिवर्तन

वर्तमान नीति दिशानिर्देशों के तहत दिनांक 31.03.2014 तक दि.वि.प्रा. के 1,01,972 निर्मित फ्लैटों को लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित किया जा चुका है।

ख) लागत निर्धारणः

i) विभिन्न श्रेणियों के तहत फ्लैटों की कीमत निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन के लिए, आवास वित्त आवश्यक कार्यवाही करता है एवं प्राधिकरण के समक्ष एजेंडा प्रस्तुत करता है। पी.ए.आर एजेंडा के लिए प्रत्येक वर्ष की प्रभावी तिथियां 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर हैं। तदनुसार, मद संख्या 48/2014 के तहत दिनांक 24.02.2014 की अपनी बैठक में, प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए कुर्सी क्षेत्रफल दरों को अनुमोदित कर दिया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल गांव में फ्लैट्स

ii) क्रमशः वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान 289 और 204 फ्लैटों की तुलना में, दि.वि.प्रा. आवास योजना 2010 के 210 अलग–अलग फ्लैटों/बचे हुए फ्लैटों की लागत को अंतिम रूप दिया गया।

(ग) अन्य उपलब्धियाँः

i) क्रमशः वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान निपटाए गए 185 और 110 मामलों की तुलना में, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, वर्ष के दौरान आवास लेखा विंग द्वारा 108 मामलों को प्राप्त किया गया और जनता को उत्तर देने के बाद 104 मामलों का निपटान किया गया।

ii) क्रमशः वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान 9,557 और 12,810 मामलों की तुलना में, लीज़ होल्ड से फ्री–होल्ड के लिए बेबाकी प्रमाण–पत्रों के 14,207 मामलों पर कार्यवाही की गई।

iii) देय राशि के गैर–भुगतान के लिए किराया खरीद के तहत आबंटितियों को 3,873 डिफॉल्टर नोटिस जारी किए गए।

iv) विभिन्न आवास योजनाओं की किराया–खरीद स्कीम के तहत डिफॉल्टर आंबटितियों के लाभ हेतु 12.03.2014 से 11.09.2014 के बीच जुर्माना राहत योजना, 2014 को शुरू किया गया। 230 आवेदनों के माध्यम से 31.03.2014 तक किस्तों/ब्याज के लिए 5.19 करोड़ रु. की राशि को वसूल किया गया।

v) 1995 से बेमेल चालानों के समाधान और व्यक्तिगत खाता बहियों में उसके अद्यतनीकरण का कार्य शुरू किया गया और मई 2014 तक इसका पूरा होना संभावित है।

घ. वर्ष के दौरान आवास वित्त की प्रमुख उपलब्धियांः

मामलों के तुरंत/न्यायिक निपटान के लिए निम्नलिखित विशेष प्रयास किए गए/ कदम उठाए गए ताकि विभाग द्वारा जनता को सेवा प्रदान करने की सुविधा में सुधार लाया जाएः–

क) कार्य–प्रणाली में सामान्य सुधारः–

i) लंबित मामलों की साप्ताहिक मॉनीटरिंग प्रणाली।

ii) विभिन्न अवसरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ताकि उनकी कार्य शैली में सुधार आ सके।

(ख) रोकड़ आवास शाखा :–

न्यू जेनरेशन बैंकों द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति–रसीदों की इलैक्ट्रॉनिक पोस्टिंग के लिए कदम उठाया गया।

वसंत कुंज में आवास

नई पहल 2014–15 के लिए लक्ष्य/प्रस्ताव

क) उत्तरदायित्वता में सुधारः

(i) विभिन्न स्तरों पर मामलों के निपटान के लिए मानक समय का निर्धारण करके विभाग की विभिन्न गतिविधियों के मानदण्ड तैयार करना।

ii) आर.टी.आई. मामलों का ऑनलाइन निपटान।

iii) हाउसिंग विंग के अधिकारियों की शक्तियों के प्रत्यायोजन में और वृद्धि करना।

(ख) सार्वजनिक इंटरफेस सुधार

अनापत्ति प्रमाणपत्र को ऑनलाइन जारी करना अथवा बैंकों के द्वारा।

(ग) देय राशि की वसूलीः

(i) पुरानी बकाया देय राशि की वसूली के लिए फ्लैटों को रद्द करके देय राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान।

(घ) बैंकों के माध्यम से आउटसोर्सिंगः बैंक द्वारा आबंटितियों के खातों का आबंटन के बाद का रख–रखाव।

यह वित्त सलाहकार (आवास) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

11. भूमि प्रबंधन और भूमि निपटान विभाग

11.1 भूमि प्रबंधन विभाग

11.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–I की देखभाल और सन् 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल–II की भूमि का प्रबंध एवं देखरेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अन्तर्गत ली गई थी।

इसके अतिरिक्त, भूमि एवं विकास कार्यालय शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित कुछ भूमि भी देखभाल एवं रखरखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास है। इस भूमि का उपयोग एवं आंबटन भूमि एवं विकास कार्यालय एम.ओ.यू.डी. द्वारा किया जाता है।

11.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य है:

i) भूमि अधिग्रहण।

ii) भूमि प्रबंधन।

iii) उपयोग करने वाले विभाग द्वारा भूमि लिए जाने तक भूमि की सुरक्षा।

iv) भूमि उपयोग करने वाले विभागों की सहायता करना।

v) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

vi) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका निष्पादन करना।

vii) विकास क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करना।

viii) मुख्य योजना प्रावधानों के अंतर्गत दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करना।

11.3 भूमि अधिग्रहण कॉलेक्टर (एल.ए.सी.), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दि.वि.प्रा. को 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान 263.33 एकड़ भूमि सौंपी गई।

11.4 भूमि प्रबंधन विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्य दि.वि.प्रा. की भूमि को अतिक्रमण से बचाना है। दि.वि.प्रा. ने भूमि की सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई है। दि.वि.प्रा. की भूमि की रक्षा के लिए छः ज़ोन अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण –पूर्वी, दक्षिणी–पश्चिमी और रोहिणी ज़ोन हैं।

11.5 प्रत्येक ज़ोन के प्रमुख, उपनिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी सहायता सचिवीय, लिपिकीय और फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। दि.वि.प्रा. की भूमि की प्रभावकारी रक्षा के लिए, सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जाता है और उन्हें विशेष क्षेत्र सौंपा जाता है ताकि दि.वि.प्रा. की भूमि की नियमित रूप से निगरानी व देखभाल की जा सके।

11.6 दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण की जांच हेतु पुलिस की सहायता से निर्माण गिराने के कार्यक्रमों को नियमित रूप से नियोजित और क्रियान्वित किया जाता है। दि.वि.प्रा. ने वर्ष के दौरान 01.04.2013 से 31.03.2014 तक 414 निर्माण गिराने के कार्य किए और लगभग 29.44 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस प्रक्रिया में, कच्ची, पक्की और अर्द्ध–पक्की प्रकार की 575 संरचनाओं को हटाया गया। कभी–कभी, मुकद्मेबाजी और शहर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के पहले से व्यस्त होने के कारण उसकी अनुपलब्धता की वजह से निर्माण गिराने के कार्य को पुनः निर्धारित करना पड़ा।

11.7 इस अवधि के दौरान, दि.वि.प्रा. ने वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों को भी जीता।

11.8 खाली पड़ी/पुनः प्राप्त की गई दि.वि.प्रा. भूमि पर, वर्ष के दौरान क्रमशः 17763.85 और 3579 मीटर की चारदीवारी और बार्ब्ड वायर फेंसिंग का निर्माण किया गया।

11.9 भूमि प्रबंधन विभाग की क्षतिपूर्ति शाखा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने, उनके कारण हुई क्षतिपूर्ति का आकलन करने एवं उनसे इसकी वसूली करने का कार्य सौंपा गया है। 23 राजस्व संपदा के अनधिकृत अधिभोगियों से 1.59 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की गई और डिफॉल्टरों को 5.21 करोड़ रु. की क्षतिपूर्तियों के नोटिस जारी किए गए।

11.10 दि.वि.प्रा. ने सरकारी भूमि पर अनधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध पी.पी. अधिनियम के अंतर्गत बेदखल करने के कार्य करने की पहल की। 2 संपदा अधिकारियों और 6 ज़ोनल उप निदेशकों को क्षतिपूर्तियों और बेदखली का आकलन करने के उनके कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए पीपी अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान किया गया है। न्यायालय में लंबित पड़े 348 बेदखली–मामलों को वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

11.11 48 गांवों में अधिग्रहित भूमि के संबंध में डाटा का अपडेशन कार्य वर्ष के दौरान पूरा किया गया।

11.12 भूमि प्रबंधन विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत 23 नजूल संपदाओं से संबंधित नामांतरण मामलों का वर्ष के दौरान निपटान किया गया।

11.13 29 गांवों के संबंध में मसावि/सिज़रा प्लान का डिजिटाइज़ेशन कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा किया गया।

11.14 अधिग्रहित भूमि के संबंध में 17.85 करोड़ रु और 121.55 करोड़ रु की राशि, मुआवज़े और बढ़े हुए मुआवज़े के भुगतान के लिए वर्ष के दौरान जारी की गई।

11.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग आवासीय, सांस्थानिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्लॉटों के निपटान का कार्य करता है। भूमि निपटान विभाग द्वारा निर्मित दुकानों का भी निपटान किया जाता है। नीलामी/निविदा द्वारा आबंटन किया जाता है। किसानों से ली गई भूमि के बदले में उनको वैकल्पिक प्लॉट आबंटित करने का कार्य भी भूमि निपटान विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान भूमि निपटान विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

क्र. स.	मद	जी. एच.	सी. एस.	एल. एस. बी. (आर.ओ.)	एल. ए. बी. (आर. ओ.)	सी. ई.	सी. एल.	एल. एस. बी. –1	आई. एल.	ओ. एस. बी.	एल. पी. सी.	एल.एस.बी. (आर.एल.)	कुल
1	वार्षिक प्राशुल्क	–	–	2242 लाख	870.08 लाख	14.22 करोड़ 3.58 करोड़	447.22 करोड़	7024 करोड़	401.03 करोड़	–	–	–	967.40 करोड़
2	परिवर्तन के मामले एवं निष्पादित की गई हस्तांतरण विलेख	6436	515	–	2849	702	87	216	–	210	–	656	11671
3	नामांतरण परिवर्तन की अनुमति दी गई	135	110	548	49	28	34	21	–	27	–	107	1059
4	पट्टा विलेख निष्पादित किए गए	–	–	–	156	–	35	4	30	–	–	46	271
5	कब्जा पत्र जारी किए गए	–	–	75	–	–	–	2	32	–	27	72	208
6	समयावधि को बढ़ाया	–	6	–	1184	–	62	–	45	–	–	–	1297
7	बंधक रखने की अनुमति प्रदान की गई	–	1	–	3	–	36	–	8	–	–	–	48
8	निपटान किए गए आर.टी.आई मामले	577	323	356	–	610	481	211	700	471	–	–	3279
9	उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस	–	2	3	–	92	23	–	42	–	–	–	162
10	रद्दकरण	–	1	20	–	–	–	–	2	–	–	–	23
11	बहालीकरण	–	3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	14
12	नीलामी/वैकल्पिक आबंटन द्वारा किया गया आबंटन	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	4
13	जारी किए गए आबंटन पत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100		299

अरावली जैव वैविध्य पार्क में घास स्थल में बया पक्षी

12. खेल विभाग

12 खेल विभाग

12.1 दिल्ली मुख्य योजना–2001 के प्रावधानों के अनुसार, दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों (जोनों) में खेल परिसरों का विकास किया है। पहला खेल परिसर सीरी फोर्ट में 1989 में खोला गया था और चौदह अन्य परिसरों तथा दो गोल्फ कोर्सों का विकास किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीरी फोर्ट में स्क्वैश और बैडमिंटन के लिए तथा यमुना खेल परिसर में तीरन्दाजी और टेबल टेनिस के लिए स्टेडियमों का विकास करवाया। इन दोनों स्टेडियमों का उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए किया जा रहा है और ये स्टेडियम जनता द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध हैं।

यद्यपि ये खेल परिसर सदस्यता आधारित होते हैं। इनमें सदस्यों को केवल खेलने के अधिकार प्राप्त होते है, कोई भी व्यक्ति निर्धारित साधारण राशि का भुगतान करके इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों, खेल संघों और एसोसिएशनों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।

खेल परिसर विशेष तौर से खेल सम्बन्धित गतिविधियों एवं सुविधाओं के लिए समर्पित हैं जिनमें 20 से अधिक खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

12.2 खेलकूद आधारिक संरचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित खेलकूद आधारिक संरचना निम्न प्रकार है:

सुविधा	विवरण
खेल परिसर	15 (दक्षिण में 5, पूर्व में 4 और उत्तर एवं पश्चिम में तीन–तीन)।
लघु खेल परिसर	3(दक्षिण में मुनीरका, पूर्व में कांति नगर और पश्चिम में प्रताप नगर)।
तरणताल (स्विमिंग पूल)	17 (तीन बारहमासी पूल सहित)।
खेल परिसरों में फिटनेस सेंटर	18 (महिलाओं के लिए विशेष रूप से दो सहित)।
हरित क्षेत्रों में मल्टी–जिम	21 (महिलाओं के लिए विशेष रूप से 1 सहित)।
लघु फुटबाल मैदान	10 (हरित क्षेत्रों में 2 और खेल परिसरों में 8)।
गोल्फ– कोर्स	2–लाडो सराय (18 होल) और भलस्वा (9 होल)।
लघु गोल्फ–कोर्स	1(सीरी फोर्ट)।
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	3 (सीरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)।

12.3 सदस्यता की स्थिति/उपयोगिता

31 मार्च 2014 तक, सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में विभिन्न श्रेणियों में सदस्यों की कुल संख्या 63,562 थी। इनमें आकस्मिक सदस्य, अतिथि आदि शामिल नहीं हैं। लगभग 15,500–16,000

रोहिणी खेल परिसर, रोहिणी

व्यक्ति प्रतिदिन आधार पर इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों/महाविद्यालयों, संस्थानों और खेल संघों द्वारा प्रशिक्षण एवं खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

12.4 खेलकूद गतिविधियां

12.4.1 टूर्नामैन्ट्स

खेल विंग द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक आयोजित किए गए मुख्य टूर्नामेन्ट निम्नलिखित हैः–

प्रतिस्पर्धाएं	दिनांक	परिसर का नाम	टिप्पणियां
पांचवा दि.वि.प्रा. आमंत्रण अंतर विद्यालय बास्केटबॉल चैंपियनशिप–2013	18 से 25 अक्टूबर, 2013	वी.के.एस.सी.	26 टीमें–लड़के / 24 टीमें–लड़कियां
अंतर विद्यालय (जूनियर) टेबल टेनिस टूर्नामेंट	नवंबर 2013	एम.डी.सी.एस.सी.	12–16 टीमें
13वां दि.वि.प्रा. आमंत्रण वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2013	26–28 नवंबर 2013	एच.एन.एस.सी.	15–टीमें
12वां अंतर कॉम्पलैक्स क्रिकेट कोचिंग अकादमी/स्कीम टूर्नामेंट 2013	15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2013	सी.एस.सी.	16–टीमें
दि.वि.प्रा. पुरुष एवं महिला टेनिस टूर्नामेंट–2013(ए.आई.टी.ए. रैंकिंग)	16–22 दिसंबर 2013	एस.एस.सी.	197 खिलाड़ी
वीसी क्रिकेट टूर्नामेंट		9 से 23 फरवरी, 2014	एस.एफ.एस.सी.
लैफ्टिनेंट गवर्नर कप –2014		21 से 23 फरवरी, 2014	क्यू.जी.सी.

12.4.2 खेलकूद समारोह

खेलकूद समारोह सदस्यों और उनके परिवारों को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह सभी परिसरों में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। सभी आयु वर्गों में टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स आदि जैसे व्यक्तिगत खेलों के टूर्नामेन्टों का आयोजन किया जाता है।

इसके साथ ही प्रत्येक परिसर समारोह के भाग के रूप में विद्यालय एवं राज्य स्तरीय टीम खेलों हेतु आमंत्रण टूर्नामेंटों का आयोजन भी करता है और विजेता खिलाड़ी दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित किए जाने वाले आमंत्रण टूर्नामेंटों में भाग लेते हैं।

12.4.3 प्रशिक्षण (कोचिंग)–सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे–क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक्स, ताइक्वांडो इत्यादि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों (कोच) द्वारा 120 से भी अधिक व्यक्तिगत कोचिंग योजनाओं को चलाया जा रहा है और लगभग 7–8 हजार प्रशिक्षुओं में भाग लिया। विभिन्न खेलों में समाज के कमजोर वर्गों के लगभग 190 से अधिक प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालयों/महाविद्यालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी खेल परिसरों में विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प (शिविरों) का आयोजन भी किया गया।

वर्ष के दौरान परिसरों में कोचिंग देने की पद्धति की समीक्षा की गई। व्यापक पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए एक नई नीति को अनुमोदित किया गया जिसने दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में कोचिंग लेने के लिए युवा पेशेवर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया।

12.5 गोल्फ को प्रोत्साहन

कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय भारत का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है जिसने व्यस्त समय में सप्ताह के अंत में लगभग 300 राउंड खेलने के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की। भल्सवा में एक अन्य 9 होल पब्लिक गोल्फ कोर्स ने गोल्फ के खेल को उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली वासियों के लिए सुलभ बनाया।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में निर्मित मिनी गोल्फ कोर्स भी बहुत लोकप्रिय है और यह अधिक उपयोग किया जाने वाला गोल्फ कोर्स है।

सीरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स में गोल्फ ड्राइविंग रेंज का उपयोग शोकीनों नौसिखियों और पेशेवरों द्वारा अपने खेल को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।

12.5.1 गोल्फ कोचिंग

वर्ष के दौरान एक कोचिंग कैम्प आयोजित किया गया था।

भलस्वा गोल्फ कोर्स

12.5.2 गोल्फ टूर्नामेंट

कुतुब गोल्फ कोर्स कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रायोजित विभिन्न आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंटस का आयोजन करता है। गोल्फ के सीज़न में प्रतिमाह ऐसे दो टूर्नामेंटों को आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा उसके सदस्यों के लिए दो मेडल राउंड आयोजित किए गए।

12.6 खेल प्रोत्साहन योजनाएं

एथलेटिक्स एवं फुटबॉल को आरम्भिक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए दि.वि.प्रा. ने दो खेल प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की थीं। ये योजनाएं क्रमशः 2001और 2002 में सफल रहीं। इन योजनाओं को दि.वि.प्रा द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त है ओर इन्हें विशेषज्ञ सलाहकारों तथा अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।

12.6.1 एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना (ए.पी.एस)

वर्तमान में अंडर–14 और अंडर –19 वर्ष की आयु वर्ग के 35 एथलीट्स (लड़के एवं लड़कियां दोनों), अपनी संबंधित प्रतियोगिताओं में कोचिंग ले रहे हैं। इन योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में भाग लिया और दि.वि.प्रा. के लिए जयपत्र (लॉरेल) अर्जित किए, कुछ उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

- दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षु श्री अंकित, जो बधिर हैं, ने 1 से 5 अप्रैल 2013 तक औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आयोजित 18 वें राष्ट्रीय बधिर खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया।
- 8 से 10 अगस्त, 2013 को नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित 73 वें दिल्ली एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, दि.वि.प्रा. एथलीट्स ने 15 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। अण्डर 17 श्रेणी के अंतर्गत लड़कियों में शिवांगी रावत को और अण्डर 17 श्रेणी के अतंर्गत लड़कों में बेअंत सिंह को श्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया।
- कोच्चि में 22 से 24 सिंतबर, 2013 को आयोजित नेशनल इंटरज़ोनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, भाग लेने वाले चार प्रशिक्षुओं द्वारा एक रजत और एक कांस्य पदक जीता गया।
- 17 से 24 सिंतबर 2013 को मलेशिया में आयोजित पहले एशियन स्कूल एथलेटिक्स में भाग लेने वाले श्री राहुल ने 2 रजत पदक जीते। उनके कार्य को देखते हुए, दिसंबर 2013 में ब्रासिलिया, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड स्कूल खेलों में भाग लेने हेतु उनका चयन किया गया था।
- 3 से 7 दिसंबर 2013 तक, बंगलौर में आयोजित 29 वें जूनियर नैशनल एथलेटिक्स में, स्कीम के प्रशिक्षुओं ने एक स्वर्ण, एक रजत और 5 कांस्य पदक जीते।
- 8 से 12 जनवरी, 2014 तक रांची में आयोजित 59 वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में, प्रशिक्षुओं द्वारा 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते गए।

12.6.2 फुटबॉल प्रोत्साहन योजना (एफ.पी.एस):

75 प्रशिक्षणार्थियों ने सीरी फोर्ट और यमुना खेल परिसरों में आयोजित की जाने वाली स्कीम में भाग लिया। नए प्रशिक्षुओं का शामिल करने के लिए ओपन सलैक्शन ट्रायल का आयोजन क्रमशः 13–14 जुलाई, को सीरी फोर्ट में और 20 और 27 जुलाई, 2013 को यमुना खेल परिसर में किया गया।

दि.वि.प्रा. फुटबॉल अकादमी टीम ने दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन 'बी' डिविज़न लीग चैंपियनशीप में भाग लिया। युवा टीम ने अनुभवी

कुतुब गोल्फ कोर्स

प्रतिस्पर्धा की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान ग्रहण किया। उनके कार्य–निष्पादन के आधार पर, उन्हें अगले सत्र के लिए 'ए' डिविज़न में प्रमोट किया गया। स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- अकादमी द्वारा डी.एस.ए. इंटर अकादमी अण्डर –17 फुटबॉल प्रतिस्पर्धा को जीता गया।
- अंडर 14 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चार प्रशिक्षुओं ने दिल्ली राज्य का और एक ने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

12.7 खेल सूचना पत्र (न्यूजलैटर)

दिसम्बर 2013, को समाप्त तिमाहियों के लिए तिमाही खेल सूचना पत्र (न्यूजलैटर) प्रकाशित किए गए। खेलों पर सूचना पत्र का प्रकाशन एक नियमित विशेषता है जिसे खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में उपलब्ध सुविधाओं पर जनता की जागरूकता को बढ़ाने और इन परिसरों में खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सूचना पत्र (न्यूजलैटर) विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल फेडरेशनों और संघों में परिचालित किया जाता है।

डीडीए खेल परिसर में फुटबाल खेलते हुए

12.8 विकास कार्य

सभी परिसरों में सुविधाओं को सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के लिए, रखरखाव और मरम्मत का कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है। मुख्य उन्नयन कार्यों के अतिरिक्त, पूंजीगत प्रकृति के कार्यों को भी मौजूदा आधारिक संरचना को सुधारने और अद्यतन करने के लिए सभी खेल परिसरों में किया गया। सदस्यता के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण और परिसर में कार्डों का प्रयोग करके उपयोग–कर्ताओं द्वारा कैश–लेस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक योजना की शुरूआत की गई।

13. उद्यान–राजधानी को हरा भरा बनाना

वृक्षारोपण

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियां			
		वृक्ष		झाड़ियां		वृक्ष		झाड़ियां	
		वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)	वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)	वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)	वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)
1.	निदेशक (उद्यान)	78,675	1,18,01,250	2,49,730	1,87,29,750	73,066	1,09,59,900	2,51,739	1,88,80,425
2.	निदेशक (उद्यान) दक्षिण–पूर्व	73,714	1,10,57,100	3,43,824	2,57,86,800	73,779	1,10,66,850	2,70,045	2,02,53,375

लॉन का विकास

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)	वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)
1.	निदेशक (उद्यान) उत्तर–पश्चिम	107.63	1,61,44,500	85.37	1,28,05,500
नए लॉन का विकास					
1.	निदेशक (उद्यान) दक्षिण–पूर्वी	216.20	3,24,00,000	186.50	2,79,75,000

इन्द्रप्रस्थ पार्क

चिल्ड्रन कॉर्नर/सेट्स

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)	वास्तविक (सं.)	वित्तीय (लाख में)
1.	निदेशक (उद्यान) उत्तर–पश्चिमी	29	5,80,000	29	5,80,000
2.	निदेशक (उद्यान) दक्षिण–पूर्वी	74	1,48,000	74	1,48,000

कुतुब गोल्फ कोर्स

टिप्पणी:

1. डिवीजन II का 2.50 एकड़ क्षेत्र विकास के लिए प्रक्रियाधीन है।
2. डिवीजन V का 12.00 एकड़ क्षेत्र मुकद्दमे के कारण विकसित नहीं किया जा सका।
3. द्वारका डिवीजन का 7.50 एकड़ क्षेत्र पानी की कमी / अनुपलब्धता के कारण विकसित नहीं किया जा सका।

14. कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 ''ग्राहक ही सर्वोपरि है और वह लाभान्वित होना चाहिए'' को ध्यान में रखते हुए दि. वि. प्रा. अपने ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए गुणवत्ता का प्रयोग मात्र दि. वि. प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न अनुभागों में ही नहीं किया जाता, बल्कि इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के सभी निर्माण एवं विकास कार्यों में भी किया जाता है।

14.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि. वि. प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष, के स्तर पर समय समय पर निरीक्षणों का आयोजन करके भी जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य, ठेका शर्तों, विनिर्दिष्टियों और ड्राइंगों के अनुसार किया जा रहा है।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष का गठन वर्ष 1982 में किया गया था जिसमें 9 कनिष्ठ अभियंता, 10 सहायक अभियंता (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंता, (6 सिविल और 1 विद्युत) एक सहायक निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता (कोटि – नियंत्रण) जो इनके प्रमुख हैं, शामिल हैं। कोटि आश्वासन की यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि में ही नहीं बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट डॉक्युमेंट्स विनिर्दिष्टियों आदि की कोटि का भी निरीक्षण करती है, और जब कभी भी आवश्यकता होती है यथा स्थिति समय समय पर दिशा निर्देश और परिपत्र आदि जारी करती है। तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन एजेंसियों द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा परिपत्र संख्या 213 जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि टी.पी.क्यू.ए. की निरीक्षण रिपोर्टों की कोटि आश्वासन कक्ष मॉनिटरिंग करेगा।

बड़े कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली आरंभ की गई है और सी.आर.आर.आई., एन.सी.सी.बी.एम., आई.आई.टी., आर.आई.टी.ई.एस., श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च आदि एजेंसियां भी परामर्श दाताओं के रूप में अनुबंधित की गई हैं। इन कार्यों के करने में कुल सैम्पलों के 10% को लेकर, कोटि आश्वासन कक्ष तृतीय पक्ष के साथ भी संबद्ध हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोटि के सामान का इस्तेमाल हो रहा है।

14.4 कोटि आश्वासन द्वारा मुख्य परियोजनाओं की जांच कम से कम दो स्तरों अर्थात फाऊन्डेशन स्तर, सुपर स्ट्रक्चर स्टेज पर और तीसरी बार अभियंता सदस्य / दि. वि. प्रा. के अनुमोदन से अथवा शिकायत मिलने पर अभियंता सदस्य / दि. वि. प्रा. की अनुमति से होती है। कार्य पद्धति के पहलू, सामग्री के पहलू और कारीगरी के पहलू के तहत रिकॉर्डों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसकी कोटि लेखा परीक्षा के दौरान विधिवत् जांच की जाती है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई हेतु अविलंब संबंधित अधिशासी अभियंता / अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता के ध्यान में लाया जाता है और अवलोकनों के अनुपालन पर व्यापक निगरानी रखी जाती है। कोटि आश्वासन कक्ष को, सीवरेज पाइपों के लगाने से पहले और बाद के निरीक्षण की ड्यूटी को भी सौंपा गया है। रोहिणी फेज IV एवं V में 258.17 हैक्टे. भूमि के विकास कार्य की एचडीपीई एवं आरसीसी पाइपों के कार्य, उपशीर्ष : रोहिणी सैक्टर 29,30,34 एवं 35 में बाहरी सीवरेज योजना को उपलब्ध / समतल करना, जिसकी निविदा लागत 26.33 करोड़ है, फैक्टरी परिसर में कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा जांच के अधीन हैं जहां कुल 4927 मी. एचडीपीई और 12162 मी. आर. सी. सी पाइप की जांच की जानी है। इसमें से 4230 मी. एचडीपीई पाइप एवं 125 मी. आर सी सी पाइप की जांच और अनुमोदन हो चुका है। इसी तरह, फेज V, सैक्टर 37 में 122.92 हैक्टे. भूमि के विकास कार्य उपशीर्षः रोहिणी फेज I सैक्टर 37 में 1.91 करोड़ रु. की राशि की परिधीय सीवर लाइन उपलब्ध कराना / लेवलिंग करना में लगने वाले पाइप की भी जांच होनी है। सैक्टर 27 एवं 28 रोहिणी में 30 मी. मार्गाधिकार सड़क के निर्माण और सैक्टर जी – 2 और जी – 6, नरेला हेतु आंतरिक सड़कों (फेज – I ट्रीटमेंट) के निर्माण में शामिल अर्थ–कार्य के लेवल की जांच को संयुक्त रूप से कोटि आश्वासन कक्ष और संबंधित फील्ड स्टॉफ को भी सौंपा गया है।

14.5 अपनाई गई विनिर्दिष्टियों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और वर्तमान आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाता है। नई निर्माण सामग्री के उपयोग करने, नई तकनीकों जैसे कि आवासीय परियोजनाओं में प्रीफैब तकनीक मिश्रित डिजाइन का प्रयोग आर.एम .सी. आदि का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना, समय और लागत पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं सौंदर्य और भवन को संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। (प्रीफैब) तकनीक के साथ बने 18,600 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा होने वाला है और 24,660 एलआईजी तथा 4855 ईडब्ल्यूएस आवासों का कार्य शुरू हो गया है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

14.6 दि. वि. प्रा. लगातार सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ा रहा है। विविध निरीक्षणों के दौरान फील्ड स्टाफ के साथ अंतः क्रिया की जा रही है ताकि गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध सुझाव सामने आ सकें। सी.पी.डब्ल्यू.डी./सी.आर.आर.आई. और एन.आई.एच.ए. द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन कक्ष के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को भेजा गया।

14.7 दीर्घावधि से लंबित कोटि आश्वासन के पैराओं का निपटान करने और 31.03.2005 तक के मामलों को समाप्त करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा एक अभियान चलाया गया। जिन पैराओं में कोई वित्तीय अड़चन नहीं थी, उनका निपटान किया गया और काफी मामलों को बंद दिया गया। परिणामस्वरूप, काफी संख्या में मामले अंतिम चरण तक पहुँच गए हैं। प्रक्रियात्मक पैराओं को जोनल मुख्य अभियंताओं की संतुष्टि हेतु उनके क्षेत्राधिकार में सौंपने के प्रयास किए गए। कोटि आश्वासन कक्ष ने केवल उन्हीं पैराओं को रखा जिनमें वित्तीय उलझन थी अथवा जिनमें कोई विशिष्ट तकनीकी मामला शामिल था। जोनल पुनरावलोकन बैठकों के दौरान क्षेत्रीय अभियंताओं तथा निरीक्षण के दौरान अभियंताओं के मध्य अंतः क्रिया में कोटि आश्वासन कक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से सलाहकारी भूमिका भी निभाई।

14.8 जब कभी भी उपाध्यक्ष, अभियंता सदस्य, सतर्कता कक्ष से शिकायत मिली, कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से जांच कराई गई और यदि कोई, सतर्कता का कोण (ऐंगल) इसमें शामिल था, तो सतर्कता कक्ष द्वारा उसे देखा जा रहा है।

14.9 कार्यों के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष ने एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लैक्स में साधनों से सज्जित एक जांच लैब (एक सहायक अभियंता और दो कनिष्ठ अभियंता सहित) बनाया हुआ है। यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल पर दैनिक जांच की जाती है। निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर लैब में जांच कराई जाती है। कुल मिलाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इस संबंध में संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं, बाहर के लैबों के कम से कम 100 प्रतिशत नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया जाता है। अन्य लैब जैसे श्रीराम टैस्ट हाऊस, एन.टी.एच. दिल्ली टैस्ट हाऊस, स्पेक्ट्री ऐनेलिटिकल लैब आदि भी सामग्रियों की जांच के लिए पैनल में हैं। इसके अतिरिक्त दि. वि. प्रा. कोटि आश्वासन लैब को और भी नवीन/शक्तिशाली बनाया जा रहा है।

14.10 दि. वि. प्रा. ने आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त किया है। कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस.ओ. 9001:2008 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध, प्रशासन, कोटि नीति और कोटि उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंध, सर्विस रियलाईजेशन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देती है, की पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा कर दिए जाने के बाद ही बी.आई.एस. कोटि प्रबंध प्रणाली से संतुष्ट हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्ज) ने मार्च 2007 में दि. वि. प्रा. को आई.एस.ओ./ आई.एस.ओ. 9001:2000 के लिए "कोटि प्रबंध प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सी.आर.ओ./ क्यू.एस.सी./एल–8002720 प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक तीन वर्ष बाद इसका नवीकरण किया जाता है। इसका पिछली बार 23.09.13 को नवीनीकरण किया गया और यह दिनांक 30.03.16 तक वैध है।

14.11 पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2013–14 के दौरान उपलब्धियाँ तथा वर्ष 2014–15 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14		2014–15
				(लक्ष्य)	(उपलब्धियां)	(लक्ष्य)
1.	निरीक्षण	170	181	173	122	180
2.	तकनीकी लेखा परीक्षा	9	4	6	2	6
3.	सी.टी.ई. टाइप निरीक्षण	3	2	6	1	6
4.	सामग्रियों के नमूने	342	426	346	254	360
5.	फाइलें बंद करना	56	95	130	168	150
6.	शिकायतों की जांच	9	20	जब और जैसे प्राप्त	34	जब और जैसे प्राप्त
7.	क्यू.ए.लैब में सामग्रियों की जांच i. निरीक्षण के दौरान क्यू. ए. सी. द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल ii. जोनों से फील्ड स्टाफ द्वारा लाए गए सैंपल	98 5,747	122 7,759	120 7,860	30 5,763	150 6,000
8.	अचानक निरीक्षण	–	2	6	2	6

14.12 कोटि आश्वासन कक्ष के परिपत्र

मुख्य अभियंता (कोटि आश्वासन कक्ष) ने वर्ष के दौरान परिपत्र संख्या 211, 212 और 213 जारी किए।

14.13 ए.जी.वी.सी. सीरी फोर्ट में कोटि आश्वासन कक्ष की पूर्ण विकसित प्रयोगशाला है। इसमें सीमेंट, बिटुमन, सीसी क्यूब, ईंटों, टाइलों, सड़क बनाने की सामग्रियों, लकड़ी के शटर इत्यादि की जांच की सुविधाएं हैं।

15. वित्त एवं लेखा विंग

15.1 बजट अनुभाग

यह दि. वि. प्रा. के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केंद्रीय लेखा इकाइयों / कार्यालयों को निधि जारी करने संबंधी कार्य करता है। बजटीय बटवारे के संदर्भ में यह विभिन्न शीर्षों / परियोजनाओं के व्यय पर नियंत्रण रखता है। वित्तीय वर्ष 2013 – 14 के लिए संशोधित बजट अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2014 – 15 के लिए बजट अनुमानों को 05.03.2013 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

i) केंद्रीय लेखा इकाइयों/फ्लाईओवर इत्यादि को जारी निधिः–

क. स्टोर सहित कार्य = 2,100.77 करोड़ रु.
ख. फ्लाईओवर (यू.डी.एफ. में से) = 73.18 करोड़ रु.
ग. राष्ट्रमंडल खेल – 2010 = 50.50 करोड़ रु.
घ. वेतन / अनुग्रह राशि इत्यादि = 675.96 करोड़ रु.

ii) अन्य विभागों को जारी निधि

क. नजूल खाता II में से

i. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) = 313.50 करोड़ रु.

ii. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) = 8.18 करोड़ रु.

ख. यूडीएफ में से

i. उत्तर रेलवे = 0.39 करोड़ रु.

कुल = 3,222.48 करोड़ रु.

15.2 लेखा (मुख्य)

मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण के वार्षिक लेखों जिनमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल हैं, के संकलन का कार्य करता है।

लेखों की स्थिति

क) वर्ष 2012 – 13 हेतु दि. वि. प्रा. की वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लोकसभा एवं राज्य सभा में क्रमशः 12.02.2014 एवं 13.02.2014 को प्रस्तुत की गई।

ख) जनवरी 2014 तक के मासिक लेखों का संकलन हो चुका है।

प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण (राशि करोड़ों में)

लेखा शीर्ष	प्राप्तियां			भुगतान		
	2011–12	2012–13	2013–14	2011–12	2012–13	2013–14
नजूल – I	3.60	2.52	4.35	45.97	35.10	14.13
नजूल – II	3,396.83	3,233.44	1,991.92	5,321.04	2,824.49	1,467.01
बीजीडीए	2,344.95	2,702.31	546.59	1,836.76	1,054.11	1,325.76
कुल	**5,745.38**	**5,938.27**	**2,542.86**	**7,203.77**	**3,913.70**	**2,806.90**

मयूर विहार में संजय लेक कॉम्पलेक्स

प्राधिकरण के वार्षिक लेखा संकलन के अतिरिक्त, यह विंग मुख्य लेखा अधिकारी, दि. वि. प्रा. की अध्यक्षता में बनी निवेश समिति, जिसके सदस्य वित्त सलाहकार (आवास) निदेशक (वित्त), निदेशक (भूमि लागत), निदेशक (आई.ए.) हैं, की सिफारिशों के आधार पर सामान्य विकास खाता, नजुल खाता – II यू.डी.एफ. खेल निधि पेंशन निधि न्यास (ट्रस्ट) उपदान निधि न्यास (ट्रस्ट) और सामान्य भविष्य निधि आदि के अधीन निधियों के निवेश के कार्य को भी देखता है।

15.3 निवेश की स्थिति

मद	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (राशि करोड़ों में)	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (राशि करोड़ों में)	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (राशि करोड़ों में)
सामान्य निवेश			
क) नजूल – II	11,508.78	13,503,00	11,906.50
ख) बी.जी.डी.ए.	4,696.71	2,536.08	5,448.81
ग) यू.डी.एफ.	2,062.00	2,220.00	2,916.00
कुल	**18,267.49**	**18,259.08**	**20,271.31**
पेंशन फंड ट्रस्ट	3,381.25	3,746.35	3,769.08
उपदान निधि	259.64	369.64	486.96
सामान्य भविष्य निधि	1,063.04	1,172.14	1,177.64
लीव एन्कैशमेंट निधि	शून्य	शून्य	84.00
सेवा निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना	शून्य	शून्य	52.50

15.4 वर्ष 2013–14 के दौरान योजनाओं का वित्तीय अनुमोदन

क) 1,625.38 करोड़ रु. की, 07 आवासीय योजनाओं के संबंध में वित्तीय सहमति दे दी गई है।

ख) 1,437.26 करोड़ रु. की 18 विकास योजनाओं के संबंध में वित्तीय सहमति जारी कर दी गई है।

15.5 कार्य लेखा परीक्षा कक्ष

कार्य लेखा परीक्षा कक्ष, सभी सात जोनों के मासिक खातों के साथ प्रस्तुत किए गए वाउचरों की लेखा परीक्षा के पश्चात् के कार्य को देखता है, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति तथा कार्य सलाहकार बोर्ड एजेंडा मदों की संवीक्षा के लिए प्रारंभिक अनुमोदन को वित्तीय सहमति देता है। 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान 4,740 मामलों जिनमें 45 मध्यस्थता, 41 कार्य सलाहकार बोर्ड के मदों / निविदा के मामले, 31 प्रारंभिक अनुमान / संशोधित प्रारंभिक अनुमान, 4604 पेंशन तथा 19 उच्च प्राधिकारी द्वारा प्रेषित अन्य विविध मामले शामिल हैं, के मामलों में कार्यवाही की गई।

15.6 दि. वि. प्रा. का पेंशन कक्ष

वर्ष 2013–14 के दौरान पेंशन के 1208 मामलों को अंतिम रूप दिया गया और पी.पी.ओ. जारी किए गए तथा पेंशन के लाभों पर 24,877.92 लाख रु. व्यय हुआ।

15.7 आंतरिक निरीक्षण अनुभाग

विभिन्न लेखा परीक्षण योग्य इकाइयों का आंतरिक विभागीय निरीक्षण करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का गठन किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष की वार्षिक रिपोर्ट निम्नानुसार हैं:

इकाइयां	लेखा परीक्षा करने हेतु लक्ष्य			उपलब्धियां (लेखा परीक्षा की गई)		
	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
मुख्यालय	21	19	35	21	18	35
क्षेत्र	74	61	65	74	70	69
कुल	**95**	**80**	**100**	**95**	**88**	**104**

15.8 बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष के कार्य

दि. वि. प्रा. के विभिन्न विभागाध्यक्षों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा पैराओं, का शहरी विकास मंत्रालय और महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा), दिल्ली के साथ निम्नानुसार समन्वय कार्य।

1. पी.ए.सी. रिपोर्ट / पैराओं (परीक्षण के लिए पी.ए.सी. द्वारा चुने गए सी.ए.जी. पैरा) सीएजी।
2. पी.एस.सी. (संसदीय स्थायी समिति) रिपोर्टें / पैरे।
3. सी.ए.जी. पैरे।
4. मसौदा लेखा परीक्षा पैरे (ड्राफ्ट ऑडिट पैरे)।
5. तथ्यों का विवरण।

गत दो वर्षों की उपलब्धि को दर्शाने वाले तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2013 – 14 की परि समाप्ति तक की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

पैराओं की श्रेणियों	वर्ष 2010–11 के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल सं.	वर्ष 2011–12 के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल सं.	वर्ष 2012–13 के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल सं.
पी.ए.सी. पैरा	1	2	–
पी.एस.सी. (संसदीय स्थायी समिति)	1	–	–
सी.ए.जी.	8	22	09
प्रारूप	5	4	05
एस.ओ.एफ.	3	3	12
कुल	**18**	**34**	**26**

वर्ष 2012–13 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक खाते प्रिंट हो चुके थे और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेज दिए गए हैं।

15.9 चिकित्सा सुविधाएं

चिकित्सा सुविधाओं का पुनः व्यवस्थापन:
दिनांक 07.05.2013 को ओपीडी प्रतिपूर्ति के संबंध में, दावों के भुगतान हेतु सिंगल विंडो काउंटर की शुरूआत हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान हुआ चिकित्सा व्यय (चिकित्सा कक्ष – मुख्यालय)

इनडोर	7.76 करोड़ रु.
स्पैशल क्रोनिक एवं पोस्ट ओपरेटिव	1.48 करोड़ रु.
ओ.पी.डी. के अंतर्गत (वार्षिक सीमा)	6.92 करोड़ रु.
महायोग	**16.16 करोड़ रु.**

10. संपत्ति कर कक्ष: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, दि. वि. प्रा. को 746 करोड़ रु. के संपत्ति कर की भारी मांग हेतु वारंट प्राप्त हुआ। यहां तक कि दिल्ली के निगमों अर्थात दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने. दि. वि. प्रा. के बैंक खातों की कुर्की कर दी। संपत्ति कर की उक्त उल्लिखित मांग और खातों के कुर्की आदेशों के विरोध में एक अपील दायर की गई है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी मांगों और कुर्की वारंटों को रद्द कर दिया है।

11. भूमि लागत निर्धारण

भूमि लागत निर्धारण का मुख्य कार्य, विकासशील / विकसित क्षेत्रों / परियोजनाओं जिनमें सांस्थानिक संपत्तियां शामिल हैं, के प्लॉटों /फ्लैटों के आबंटन हेतु वार्षिक पूर्व – निर्धारित दरों, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य संपत्तियों के संबंध में परिवर्तन शुल्क की संगणना के लिए बाजार दरों को निर्धारित करना है। टीकरी कलां परियोजना के संबंध में पी.डी.आर. को अंतिम रूप दे दिया गया और इसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति दरों, विकसित क्षेत्रों, दि. वि. प्रा. की ज़मीन पर स्थित पेट्रोल पंप स्थलों हेतु दुरुपयोग प्रभारों और लाइसेंस शुल्क की दरों को संशोधित / अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अनुमोदन से (i) फार्म हाऊसों के नियमितीकरण हेतु पैनल प्रभारों (ii) कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों (एल.ओ.आर.ए.) और (iii) मोटल्स हेतु बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात के (एफ.ए.आर.) के प्रभारों को अधिसूचित कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष मीडिया को संबोधित करते हुए

दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष, श्री बलविंदर कुमार संजय वन में वृक्षारोपण करते हुए

बारापुला में सूर्यघड़ी

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वेबसाइटः www.dda.org.in, टोल फ्री नं. : 1800110332